



अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर  
राजस्थान राज्य/मीरा व अन्य  
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या - 297/2011  
सी.आई.एस. प्रकरण सं. - 5630/2014  
सीएनआर नं - RJAJ220000562011  
निर्णय दिनांक- 14.05.2026  
पेज नं: 1

## न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर अजमेर न्यायक्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	-	डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस.
सी.आई.एस. संख्या	-	5630/2014
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	-	297/2011
एफ. आई. आर. संख्या	-	34/2011
सीएनआर संख्या	-	RJAJ220000562011
आरक्षी केन्द्र	-	पुष्कर

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर .....अभियोगी

### बनाम

- मीरा पत्नी सुखदेव निवासी कानस, पुष्कर, अजमेर।
  - सुखदेव पुत्र श्री गैना निवासी कानस, पुष्कर, अजमेर।
- .....अभियुक्तगण

### अपराध अंतर्गत धारा 420 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता

#### उपस्थित:-

श्री ओमप्रकाश चौधरी अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।  
श्री कुलदीप पाराशर, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण।

#### -:प्रकरण के संक्षिप्त विवरण:-

अपराध की तिथि	21.07.2010
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	18.02.2011
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	23.08.2011
आरोप सुनाए जाने की तिथि	20.07.2012
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	17.12.2014
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	14.05.2026
निर्णय की तिथि	14.05.2026
दण्ड दिए जाने की तिथि (यदि हो तो)	-



**--:अभियुक्त का विवरण:-**

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिए गए दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 के द.प्र.सं. में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि
1.	मीरा	11.04.2011	21.04.2011	420 व 120 बी	दोषमुक्त	--	--
2	सुखदेव	05.07.2011	08.07.2011	भारतीय दण्ड संहिता			

**--:अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची:-**

**क. अभियोजन**

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू-1	प्रदीप चौमाल	तोफी द्वारा मीरा के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को पंजीबद्ध करने का गवाह
पीडब्ल्यू-2	मोहन	तोफी द्वारा मीरा के पक्ष में विक्रयपत्र निष्पादित करने का गवाह
पीडब्ल्यू-3	मदनलाल	फर्द जब्ती हरबंस की रजिस्ट्री का गवाह
पीडब्ल्यू-4	सत्तार	हरबंस के पक्ष में निष्पादित रजिस्ट्री का गवाह
पीडब्ल्यू-5	ताराचंद	सुखदेव द्वारा मनोज यादव के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को पंजीबद्ध करने का गवाह
पीडब्ल्यू-6	हेमचंद गहलोत	पटवारी
पीडब्ल्यू-7	कंचन भाटी	फर्द गिरफ्तारी मीरा
पीडब्ल्यू-8	प्रभूराम	फर्द गिरफ्तारी सुखदेव
पीडब्ल्यू-9	प्रभूराम पुत्र उगमा	हरबंस के पक्ष में निष्पादित रजिस्ट्री का गवाह
पीडब्ल्यू-10	भंवर सिंह	फर्द जब्ती हरबंस का इकरारनामा
पीडब्ल्यू-11	अनिल भारद्वाज	स्टॉम्प विक्रेता
पीडब्ल्यू-12	दिनेश कुमार	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू-13	इन्द्र सिंह	पुलिस गवाह



अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर  
राजस्थान राज्य/मीरा व अन्य  
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या - 297/2011  
सी.आई.एस. प्रकरण सं. - 5630/2014  
सीएनआर नं - RJAJ220000562011  
निर्णय दिनांक- 14.05.2026  
पेज नं: 3

पीडब्ल्यू-14	कालू सिंह	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू-15	हरबंस सिंह	परिवादी
पीडब्ल्यू-16	बिरदीचंद	मीरा द्वारा हरबंस के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र को पंजीबद्ध करने का गवाह

#### ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

#### -:अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची:-

#### क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	तोफी द्वारा मीरा के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी-1
2	परिवादी हरबंस के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र की फर्द जब्ती	प्रदर्श पी-2
3	परिवादी हरबंस के पक्ष में मीरा द्वारा निष्पादित मूल विक्रयपत्र	प्रदर्श पी-3
4	सुखदेव द्वारा मनोज यादव के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र की 3 प्रमाणित प्रतियां	पुनः प्रदर्श पी-3 व प्रदर्श पी-4 व पी-5
5	नकल वर्किंग जमाबंदी	प्रदर्श पी-6
6	नक्शा ट्रेस	प्रदर्श पी-7
7	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता मीरा	प्रदर्श पी-8
8	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सुखदेव	प्रदर्श पी-9
9	मीरा द्वारा हरबंस सिंह के पक्ष में निष्पादित इकरारनामा मूल	प्रदर्श पी-10
10	पुलिस बयान प्रभू पुत्र उगमा	प्रदर्श पी-11
11	फर्द पेशकशी/जब्ती इकरारनामा बहक हरबंस सिंह	प्रदर्श पी-12
12	प्रदर्श पी-3 स्टॉम्प के पृष्ठ संख्या 2 के पुस्त भाग पर इन्द्राज	प्रदर्श पी-13
13	प्रदर्श पी-3 स्टॉम्प के पृष्ठ संख्या 3 पुस्त भाग पर इन्द्राज	प्रदर्श पी-14



14	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी-15
15	कार्यालय उपपंजीयक अजमेर का रिकार्ड विडिंग का प्रमाणपत्र	पुनः प्रदर्श पी-15
16	कार्यालय उपपंजीयक अजमेर प्रथम का बिरदीचंदगंगवाल को जारी पत्र	प्रदर्श पी-16
17	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पुनः प्रदर्श पी-16
18	कार्यालय उपपंजीयक पुष्कर का थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर को जारी पत्र	प्रदर्श पी-17
19	मीरा द्वारा हरबंस के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी-18
20	तोफी द्वारा सुखदेव के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श पी-19

#### ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
1.	सुखदेव द्वारा मनोज यादव के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श डी-1
2.	तोफी द्वारा सुखदेव के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श डी-2
3.	मीरा द्वारा हरबंस व अन्य के विरुद्ध पंजीबद्ध कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति	प्रदर्श डी-3
4.	तोफी द्वारा मीरा के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र	प्रदर्श डी-4
5.	पुलिस बयान हरबंस सिंह	प्रदर्श डी-5

#### निर्णय

दिनांक 14.05.2026

01- इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर की ओर से दिनांक 23.08.2011 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 420 व 120 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 06.01.2026 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02- अभियोजन वृत्तांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादी हरबंस सिंह ने थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 18.02.2011 को एक



तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 इस आशय की पेश की कि दिनांक 11.05.2009 को श्रीमती मीरा पत्नी श्री सुखदेव सिंह रावत निवासी ग्राम कानस की निम्न वर्णित आराजीयांत ग्राम होकरा में स्थित है, जिसके खाता संख्या नया 419 पुराना 510 खसरा संख्या 2093 रकबा 1-10.00 किस्म बा.2 का संपूर्ण हिस्सा मुझ क्रेता ने खरीद की थी। यह कि मीरा ने उपरोक्त आराजी का संपूर्ण हिस्सा तोफी पत्नी हालू निवासी होकरा से खरीद की थी। उक्त पंजीयन में गवाह सुखदेव पुत्र श्री गैना रावत, जो कि मीरा का पति है। यह कि दिनांक 21.07.2010 को सुखदेव पुत्र श्री गैना रावत निवासी कानस ने उपरोक्त आराजी खसरा संख्या 2093 रकबा 1-10.00 का 1/2 हिस्सा मनोज यादव पुत्र श्री सुभाषचंद यादव निवासी 29994/2 रणजीत नगर, साउथ, पटेल नगर, दिल्ली बी को अवैध बेचान कर दिया। यह कि मुझ प्रार्थी ने उपरोक्त आराजी का संपूर्ण रकबा खरीद कर लिया तथा कब्जा सम्भाल लिया लेकिन मीरा पत्नी सुखदेव तथा सुखदेव पुत्र श्री गैना तथा तोफी पत्नी हालू ने षडयंत्र रचकर मुझ प्रार्थी की जमीन को अवैध रूप से बेचान कर दिया, जिससे मुझ प्रार्थी को हानि पहुँची है।...आदि।

**03-** उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2011 अपराध धारा 420 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 420 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 420 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

**04-** बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 20.07.2012 को अभियुक्तगण को अपराध धारा 420 व 120 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

**05-** दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

**06-** अभियुक्तगण का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को झूठा बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

**07-** बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्तगण के धारा 437-क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बंध पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किए गए।

**08-** इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

“क्या, अभियुक्तगण ने यह तथ्य अपनी जानकारी में होते हुए भी कि अभियुक्त मीरा ने ग्राम होकरा में स्थित खाता संख्या नया 419 पुराना 510 के खसरा संख्या 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 11.05.2009 परिवारी हरबंस सिंह को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था, इसके बावजूद भी दिनांक 21.07.2010 को उक्त भूमि का पुनः बेचान मनोज यादव को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के कर अपने आपको



दोषपूर्ण लाभ पहुँचाने व परिवादी को दोषपूर्ण हानि पहुँचाने की नीयत से परिवादी के साथ छल करते हुए परिवादी को बेचान की गई भूमि को पुनः मनोज यादव को बेचान कर दिया? यदि हाँ तो अभियुक्तगण किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है? "

09- दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जाए।

10- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की लिप्तता को प्रकट करे। अन्त में, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11- उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 16 साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:-

साक्षी पीडब्ल्यू-1 प्रदीप चोमाल ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 02.07.2007 को उपपंजीयक पुष्कर के पद पदस्थापित था। उस दिन श्रीमती तोफी पत्नी हालू ग्राम होकरा ने खाता नंबर नया 419 पुराना 510, खसरा नंबर 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से अपने हक व हिस्से की 1/2 भूमि श्रीमती मीरा पत्नी सुखदेव निवासी कानस के नाम बेचान की थी। विक्रयपत्र उसके सामने निष्पादित करवाया था, जो उसके द्वारा पंजीकृत किया गया था, जिसका इन्द्राज दिनांक 02.07.2007 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 16 क्रम संख्या 744/2007 पृष्ठ संख्या 79 पर दर्ज किया, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-1 है। उसने तो 1/2 भूमि बेचान का ही इन्द्राज प्रदर्श पी-1 में किया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि तोफी देवी ने मीरा के पति सुखदेव को जो रजिस्ट्री की, उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं है। वह नहीं बता सकता कि तोफी देवी के खाते में कितनी बीघा जमीन है व उसके विरासत में कितनी जमीन मिली है। मीरा ने तोफी देवी से अपने हिस्से की जमीन सही खरीदी थी। राधा के नाम इसी खसरे की कितनी जमीन है, उसे पता नहीं है। यह सही है कि शामिल पत्रावली उसके द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र की फोटो प्रति है, मूल नहीं है। उस रजिस्ट्री में ही न ही नक्शा लगा हुआ है। यह बात सही है कि मौके पर वह नहीं गया। विक्रयपत्र उसके कार्यालय पर ही तस्दीक किया गया क्योंकि राज्य सरकार ने मौके पर देखने का प्रावधान बंद कर दिया है।

साक्षी पीडब्ल्यू-2 मोहन ने शपथ पर कथन किया कि वह देराटू का रहने वाला है। वह तोफी पत्नी हालू का जंवाई है। उसके ससुर हालू के दो पत्नियां थी। एक का नाम राधा और दूसरी का तोफी था। उसकी सास तोफी के रतनी और जगनी दो पुत्रियां थी। उसकी शादी रतनी से हुई थी। राधा निःसन्तान थी। उसके ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद उसके ससुर हालू के होकरा में स्थित कृषि भूमि उसकी सास तोफी और राधा के नाम आधी-आधी खातेदारी इन्द्राज हो गई थी। उसकी सास तोफी, जो नसीराबाद में खेत पर ढाणी बनाकर रहती है। होकरा में स्थित कृषि भूमि जिसके खसरा नम्बर 2093 थे। उक्त भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा



मीरा पत्नी सुखदेव निवासी कानस को बेचान कर दिया था और विक्रयपत्र उपपंजीयन कार्यालय पुष्कर में पंजीयन करवाया था, जिस पर उसके बतौर गवाह हस्ताक्षर है। विक्रय पत्र प्रदर्श पी-1 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है तथा ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसके बाद श्रीमती राधा की मृत्यु हो जाने पर फौतगी रिपोर्ट के अनुसार राधा के हिस्से की जमीन भी उसकी सास तोफी के नाम हो गई थी, जिसको उसकी सास तोफी ने आज से लगभग 11 साल पहले सुखदेव पुत्र गैना रावत निवासी कानस को बेचान कर दिया था। 13 साल पहले जो उसकी सास ने मीरा के नाम से विक्रय किया था, उसके निष्पादन के समय वह पुष्कर आया था, तब बतौर गवाह हस्ताक्षर किए थे। 11 साल पहले जो विक्रय किया, तब वह उसकी सास के साथ पुष्कर नहीं आया था, उसकी सास अकेली गई। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि उसकी सास ने अपने हिस्से की जमीन मीरा और सुखदेव को बेचान कर दी थी। मीरा और सुखदेव ने किसी को जमीन बेची हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना भी सही है कि वह उसकी सास के साथ एक बार ही तहसील कार्यालय पुष्कर में आया था। उसकी सास तोफी की मृत्यु हुए 5-6 साल हो गए हैं। यह कहना सही है कि उसकी सास के साथ किसी ने कोई धोखाधड़ी नहीं की थी। उसकी सास ने स्वेच्छा से आवश्यकता अनुसार अपने-अपने हिस्से की जमीन बेचान की थी। वह हरबंस सिंह को नहीं जानता। उसने नहीं सुना कि हरबंस सिंह के साथ मीराबाई, सुखदेव ने किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी की हो। वह अपनी सास की जमीन, जो उन्होंने बेची मौके पर कहां स्थित है, नहीं बता सकता है, ना ही वह जानता है।

साक्षी पीडब्ल्यू-3 मदनलाल ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 28.03.2011 को हरबंस सिंह ने उसके सामने पुलिस को मूल रजिस्ट्री पेश की, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मूल रजिस्ट्री प्रदर्श पी-3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि वह खुद की गाड़ी चलाता है। वह तोफी देवी और सुखदेवी को जानता है। वह थोड़ा पढ़ा लिखा है। वह हरबंस जी के पहले काम करता था, अब उसने छोड़ दिया। रजिस्ट्री पर उसने हस्ताक्षर हरबंस जी के कहने पर किए थे। मीरा देवी के कितना बीघा जमीन नाम थी, यह उसे पता नहीं है। मीरा व सुखदेव ने तोफी देवी से इसी खसरा में से कितनी जमीन खरीदी, उसे पता नहीं है। वह जमीन खरीदी जब गया था। जमीन खाली पड़ी थी। जमीन पर कोई खंबा, मकान नहीं थे। उसने जमीन को नहीं देखा। उसके सामने एक बीघा 10 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री की थी। उसे ध्यान नहीं की प्रदर्श पी-3 किसको दिया। उसके सामने मीरा व सुखदेव ने हरबंस को जमीन के कागज दिखाये, यह उसे पता नहीं है। यह बात सही है कि उसने उक्त जमीन की जमाबंदी नहीं देखी। उसने तो रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर हरबंस के कहने पर किए थे। मीरा देवी अनपढ़ है। उसे ध्यान नहीं है कि रजिस्ट्री के समय मीरा का पति साथ था। रजिस्ट्री पर मीरा के पति के हस्ताक्षर नहीं है। रजिस्ट्री के समय मीरा देवी को 5,25,000/-रूपये दिए थे, फिर कहा उसके सामने रुपए नहीं दिए। यह बात सही है कि रजिस्ट्री पर 37000 रूपये लिखे हैं। रजिस्ट्री पर जमीन की फोटो लगी हुई है। जमीन पर जो आदमी खड़े हैं वे साफ नहीं दिख रहे हैं। जमीन की जमाबंदी उसने नहीं देखी कि मीरा देवी के कितना बीघा जमीन, कितनी बिस्वा जमीन नाम



है। यह जमीन वर्तमान में हरबंस जी के कब्जे में नहीं है। आसपास में किसकी जमीन है, उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर कहां कराये उसे ध्यान नहीं है। यह प्रदर्श पी-2 हरबंस ने दिया और उसके हस्ताक्षर करवाए थे। हरबंस ने यह नहीं बताया कि मीरा देवी ने तोफी देवी व राधा देवी से कितनी जमीन खरीदी व कितनी जमीन बेची। यह कहना गलत है कि वह हरबंस के कहने पर बयान देने आया है। जो उसके सामने हुआ वह उसने बताया।

साक्षी पीडब्ल्यू-4 सत्तार ने शपथ पर कथन किया कि हरबंस सिंह ने मीरा से जमीन होकरा में खरीदी थी। मीरा से डेढ बीघा जमीन खरीदी थी जिसका एग्रीमेंट 10.06.2008 को किया था। कुल जमीन 6,25,000/-रुपये में खरीदना तय हुआ, जिसमें से साईं पेटे 1 लाख उसी दिन दे दिए थे। फिर दिनांक 11.05.2009 को मीरा ने उसके व मदन के सामने रजिस्ट्री करवा दी थी व शेष राशि 5,25,000/- रुपये रजिस्ट्री के समय अदा कर दी। मीरा के पति सुखदेव ने आधी जमीन किसी और को बेच दी व हरबंस के साथ उक्त दोनों ने धोखाधड़ी की। फिर दिनांक 28.03.2011 को हरबंस सिंह ने उसके सामने पुलिस को मूल रजिस्ट्री पेश की थी जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मूल रजिस्ट्री प्रदर्श पी-3 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि वह पढा-लिखा नहीं है। वह मजदूरी करता है। वह हरबंस सिंह की फैक्ट्री में कार्य करता है। जमीन करीब डेढ बीघा है। जमीन का सौदा 6,25,000/-रुपये में हुआ था। खसरा नंबर उसे याद नहीं है। सुखदेव के कितना बीघा जमीन नाम है उसे ध्यान नहीं। मीरा देवी के डेढ बीघा जमीन ही थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-03 में 37000 रुपये की रजिस्ट्री है। प्रदर्श पी-3 में 6,25,000/-रुपये लिखे हुए नहीं है। जमीन की डीएलसी रेट उसे ध्यान नहीं है। वह तोफी देवी को नहीं जानता है। यह जमीन का सौदा उसने करवाया था। उसने इस सौदे में कुछ दलाली नहीं ली। प्रदर्श पी-3 रजिस्ट्री राजीखुशी, बिना किसी दबाव के कराई थी। जमीन का कब्जा हरबंस के पास ही है। अभी कुछ नहीं बो रखा है, उजाड़ ही पड़ी है। पहले जमीन पर खंभे डाले हुए थे, तो गांव वालों ने गिरा दिया था। खंभे जमीन पर नीचे ही पड़े हैं। जमीन पर कोई पक्की दीवार नहीं है। उसके सामने पलाडा का फार्म है। उसके पीछे, दायें-बायें किसकी जमीन है, पता नहीं है। मीरादेवी ने हरबंस के खिलाफ धोखाधड़ी मुकदमा दर्ज कराया, जिसका मुकदमा नंबर 86/2011 कराया हो तो उसके जानकारी में नहीं है। उसके जानकारी यह भी नहीं है कि उसके खिलाफ भी मीरा देवी ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई हो। जो हिस्सा जिसका एग्रीमेंट किस दिनांक को हुआ उसे याद नहीं है, केवल सन् 2008 याद है। उसे रजिस्ट्री की तारीख याद नहीं है। वह एग्रीमेंट को पढना लिखना नहीं जानता है। उसने एग्रीमेंट दिनांक 10.06.2008 पर हरबंस सिंह के कहने पर हस्ताक्षर किए थे। जो एग्रीमेंट अजमेर कचहरी में हुआ था। उसे नोटरी पब्लिक का नाम याद नहीं है। वह, मीरा, सुखा, सरदार हरबंस सिंह जी थे और कोई नहीं था। पेमेंट हरबंस सिंह जी ने एक लाख रुपये कैश ही किया था, जो अजमेर कचहरी में दिए थे। यह बात सही है कि जो हरबंस सिंह ने मीरा से खरीदी है वो एग्रीमेंट उसे पढ़कर सुनाया था। यह बात सही है कि जितने का एग्रीमेंट मीरा देवी ने किया उतनी जमीन की रजिस्ट्री हरबंस सिंह के नाम कर दी थी। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-3 में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, राजी खुशी हुआ था। हरबंस सिंह जी ने



जमीन का सीमाज्ञान कराया था, तरमीम कराई। यह कहना गलत है कि मीरा देवी ने जो रजिस्ट्री हरबंस सिंह को की थी, उक्त जमीन की रजिस्ट्री अन्य किसी को भी की है। उसके पास उक्त रजिस्ट्री की कोई प्रति नहीं है, ना ही उसे यह पता है कि रजिस्ट्री किसको की है। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। पुलिस वालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं की। प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर एग्रीमेंट के समय उसने अजमेर कचहरी में किए थे। प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर उसके सामने मीरा, सुखा व हरबंस सिंह ने किए थे। उसको प्रदर्श पी-3 को पढ़कर उसके हस्ताक्षर करवाये। एक बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, उसके बारे में उसे जानकारी है। एक बीघा में कितने गज होते हैं, इस बारे में उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी-3 पर हस्ताक्षर उसने हरबंस के कहने पर किए थे। यह बात सही है कि इकरारनामा बेचान पर जो दिनांक 10.06.2008 को हुआ था उस पर हरबंस के हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि उक्त स्टॉम्प मीरा ने नहीं खरीदा था। स्टॉम्प की इबारत उसके सामने नहीं लिखी थी। उक्त इकरारनामे के पांच-छ महीने बाद रजिस्ट्री हुई थी। इकरारनामा हुआ था तब तीन महीने बाद रजिस्ट्री कराने की बात थी लेकिन हरबंस ने नहीं कराई। हरबंस को दिनांक 02.07.2007 को तोफी देवी द्वारा मीरा देवी के किए गए हक व हिस्से की रजिस्ट्री के विक्रय पत्र की प्रति व उसमें लिखी तहसीलदार पुष्कर द्वारा नोट बता दिया था। यह बात सही है कि उक्त रजिस्ट्री देखने के बाद हरबंस ने रजिस्ट्री अपने पक्ष में कराई थी। इस बात का हरबंस व उसे ध्यान था। हरबंस मीरा देवी व सुखदेव के बीच जमीन की इसी रजिस्ट्री का विवाद हुआ था। उक्त रजिस्ट्री दिनांक 02.07.2007 को तोफी देवी का हिस्सा नामांतरण में दर्ज नहीं होने के कारण विवाद हो गया था। तोफी देवी का हिस्सा अलग था। तोफी देवी ने मीरा देवी के अलावा दिनांक 03.06.2009 को अपने हक व हिस्से की रजिस्ट्री कराई, यह बात सही है। जो रजिस्ट्री दिनांक 03.06.2009 को सुखदेव के पक्ष में कराई इस बात का हरबंस व मीरा देवी के विवाद था। मीरा देवी ने स्वयं ने किसी प्रकार के कूटरचित दस्तावेज नहीं बनाये। यह बात सही है कि प्रदर्श पी-2 में वर्णित रजिस्ट्री की स्टॉम्प उसके द्वारा खरीदे गए हैं। उक्त स्टॉम्प मीरा देवी द्वारा नहीं खरीदे गए, ना ही हरबंस ने खरीदे। यह बात सही है उक्त स्टॉम्प 10.06.2008 को हुआ इकरारनामा के एक वर्ष बाद दिनांक 08.05.2009 को रजिस्ट्री के स्टॉम्प उसके द्वारा खरीदे गए। यह बात सही है कि पुष्कर में उपतहसील है, जहां पर तहसीलदार बैठता है व रजिस्ट्री होती है व हरबंस ने जानबूझकर रजिस्ट्री पुष्कर में नहीं कराकर अजमेर में कराई। यह बात सही है कि उक्त रजिस्ट्री पर सुखदेव पुत्र गैना के हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि सुखदेव ने तोफी देवी द्वारा खरीदा गया हिस्सा दिनांक 11.05.2009 को इकरारनामे की पालना में नहीं बेचा। दिनांक 11.05.2009 को मीरा देवी ने अपने हक व हिस्से की आराजी भूमि को हरबंस सिंह को बेची व दिनांक 02.07.2007 में मीरा देवी ने तोफी देवी के 1/2 हिस्से को ही हरबंस को बेची थी। दिनांक 11.05.2007 को टंकण त्रुटि के कारण खाता संख्या 419 पुराना 510 खसरा संख्या 1-10-00 बारानी दो में से हक व हिस्सा भूल गए थे, इस कारण हरबंस, मीरा व सुखदेव के मध्य विवाद हो गया था। दिनांक 02.07.2007 को हुए विक्रयपत्र व विक्रय पत्र में उल्लेखित तहसीलदार के नोट की जानकारी हरबंस को थी। जमीन का बचा हुआ हिस्सा लेने के लिए विवाद हुआ था। यह बात सही है कि हरबंस व मीरा के नामांतरण बाबत विवाद हुआ था।



हरबंस को आधा हिस्से की रजिस्ट्री हुई थी। मीरा देवी व सुखदेव ने किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की।

साक्षी पीडब्ल्यू-5 ताराचंद ने सशपथ पर कथन किया कि दिनांक 21.07.2010 को वह पुष्कर उपपंजीयक के पद पर कार्यरत था। उस रोज सुखदेव पुत्र गैना जो कि कानस का निवासी था, ने अपनी ग्राम होकरा में आराजी भूमि खाता नंबर नया 419 पुराना 510 खसरा नंबर 2093 और 2094 का 1/2 हिस्सा मनोज यादव पुत्र सुभाषचंद निवासी 2994/2 रणजीत नगर साउथ पटेल नगर दिल्ली के नाम बेचान कर विक्रय पत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय पुष्कर से करवाया था। उक्त विक्रयपत्र का पंजीयन उसके द्वारा किया गया। नामांतरण संख्या 1116 दिनांक 13.07.2009 के अनुसार उक्त भूमि का नामांतरण तोफी बेवा हालू ओम रावत के बजाय सुखदेव पुत्र गैना रावत निवासी कानस के नामांकन स्वीकार हो रखा था, जिस आधार पर ही उक्त भूमि का बेचान सुखदेव ने मनोज यादव के नाम किया था। आराजी का बेचान जमाबंदी को आधार मानकर किया गया। उक्त दस्तावेज का पंजीयन उसके द्वारा किया जाकर पंजीयन पुष्कर में इन्द्राज है। इससे पूर्व इस भूमि का बेचान किसी के नाम हुआ है या नहीं उसे ध्यान नहीं है। उक्त भूमि का बेचान जमाबंदी में अंकित नामांतरण नोट के आधार पर किया गया था और उसके द्वारा निष्पादित किया गया था। उसके द्वारा जो विक्रयपत्र का निष्पादन हुआ था वो प्रदर्श पी-5 है, जो कि सुखदेव द्वारा मनोज यादव के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-5 है जिस पर ए से बी उसके उपपंजीयक के रूप में हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि राजस्थान सरकार के सर्कुलर के अनुसार जब कोई भी पक्षकार किसी दस्तावेज के पंजीयन के लिए आता है तो पक्षकारों की आईडी व दो गवाहों की आईडी तथा उनकी पहचान स्पष्ट होने के बाद ही पंजीयक अधिकारी के द्वारा पंजीयन किया जाता है। यह कहना सही है उसने जब यह रजिस्ट्री पंजीयन की, तब आईडी वगैरह नहीं देखी थी क्योंकि उस समय प्रचलन में नहीं था। यह बात सही है कि उसने जिस वक्त यह रजिस्ट्री पंजीयन की थी, राजस्थान सरकार के नियमों की पालना नहीं की, फिर कहा सदभावनापूर्वक गवाहों के बयान व पहचान के आधार पर पंजीयन किया था। यह बात सही है कि जब उसने रजिस्ट्री पंजीयन की, उस समय मौके पर नहीं गया था। यह बात सही है दस्ती में बताये गए फोटोग्राफ किस जमीन का है, उसे ध्यान नहीं है। उसने उक्त रजिस्ट्री पंजीयन के समय राजस्व रिकार्ड देखा था। यह कहना सही है कि इसके पूर्व की रजिस्ट्रियां व राजस्व रिकार्ड तहसील कार्यालय में रहता है। इसके पूर्व जो रजिस्ट्री 02.07.2007 को तोफी देवी ने मीरा देवी को अपने 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री की थी जिस पर उपपंजीयक पुष्कर का नोट लगा था, उसको उसने नहीं देखा था। उसके समक्ष जो रजिस्ट्री पंजीयन के लिए पेश हुई थी वो दिनांक 21.7.2010 को पेश हुई थी। दिनांक 21.07.2010 को जब यह रजिस्ट्री पंजीयन हुई थी तब किसी पक्षकार ने लिखित में आपत्ति नहीं करी थी। उस समय आराजी भूमि का कब्जा नहीं देखा जाता है। उसने पटवारी व गिरदावर से कब्जे की रिपोर्ट नहीं ली, फिर कहा कब्जे की रिपोर्ट वर्तमान जमाबंदी में अंकन के आधार पर ही नियमानुसार पंजीयन किया जाता है। पूर्व की रजिस्ट्री को देखने का नियम नहीं है। जमाबंदी के आधार पर ही पंजीयन हुआ। यह बात सही है उपलब्ध पत्रावली



प्रदर्श पी-5 में जमाबंदी इस दस्तावेज के साथ उपलब्ध नहीं है। उसके सामने मीरा व सुखदेव ने किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की, ना ही उसके सामने ऐसी बात आई है। सुखदेव ने अपने राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही प्रदर्श पी-5 की इबारत उसने नहीं देखी उसने तो पेश करने पर हस्ताक्षर किए थे।

साक्षी पीडब्ल्यू-6 हेमचंद गहलोत ने सशपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 25.02.2011 को होकरा हल्का क्षेत्र में पटवारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज ग्राम होकरा के खाता संख्या 419 की नकल, जिसमें खसरा संख्या 2086 में रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा व 2089 रकबा 1 बीघा आधा बिस्वा 2090 रकबा 2.5 बिस्वा, 2091 रकबा 4 बीघा साढे 19 बिस्वा, 2092 रकबा 3 बीघा, 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 2094 रकबा 2 बिस्वा, कुल कित्ता सात इस खाते में वर्णित थे। हालु की विरासत नामांकरण संख्या 386 दिनांक 04.12.2001 से हालु के स्थान पर विरासत राधा व तोफी बेवा हालु रावत के नाम से स्वीकार हुआ। नामांकरण 959 दिनांक 20.08.2007 से जरिये बेचान खसरा नंबर 2093 रकबा 1 बीघा दस बिस्वा पर तोफी बेवा हालु रावत की रावत की बजाय श्रीमती मीरा पत्नी सुखदेव जाति रावत निवासी ग्राम कानस के नामांकन स्वीकार हुआ। शेष अंकन बदस्तुर रहा। नामांकरण संख्या 1095 दिनांक 23.05.2009 जरिये विरासत राधा फोट होने से खसरा नंबर 2093 पर मीरा पत्नी सुखदेव व राधा बेवा हालु के स्थान पर मीरा पत्नी सुखदेव निवासी कानस व तोफी बेवा हालु के नाम अंकन स्वीकार हुआ। नामांकरण संख्या 1116 दिनांक 13.07.2009 जरिये बेचान से खसरा नंबर 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर तोफी, हालु रावत की बजाय सुखदेव पुत्र गैना जाति रावत निवासी कानस के नाम अंकन स्वीकार हुआ। शेष इन्द्राज जमाबंदी पर दस्तुर रहा। नामांकरण संख्या 1199 दिनांक 05.04.2010 जरिये बेचान से खसरा नंबर 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा पर मनोज यादव पुत्र सुभाष यादव जाति यादव 1/2 हिस्सा निवासी 2994/2 रणजीत नगर साउथ पटेल नगर दिल्ली व मीरा पत्नी सुखदेव जाति रावत 1/2 हिस्सा निवासी कानस का नवीन अंकन स्वीकार होने का इन्द्राज सलग्र जमाबंदी अनुसार है। वर्किंग जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रमाणित नकल प्रदर्श पी-6 है जो उसके द्वारा जारी की गई थी जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा पुष्ट भाग पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर है। जिसका नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी-7 है, जो भी उसके द्वारा जारी किया गया था जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह बात सही है कि खसरा नंबर 293 में हालू की विरासत से राधा देवी व तोफी आराजी भूमि की आधा-आधा मालिक है। सुखदेव ने जो आराजी बेची है, मनोज को वह सही बेची है, किसी प्रकार की धोखाधड़ी सुखदेव व मीरा ने नहीं की है। जो नामांतरण होता है वह रजिस्ट्री के आधार पर ही होता है। प्रदर्श पी-6 रजिस्ट्री जो तोफी देवी ने मीरा को करी उसकी दिनांक लिखी हुई नहीं है। मीरा देवी को तोफी ने जमाबंदी के अनुसार उसके हिस्से की 1/2 जमीन बेची, शेष हिस्सा इन्द्राज जमाबंदी के अनुसार राधा देवी के नाम था, जो दस्तावेज विक्रयपत्र 02.07.2007 को तोफी देवी ने मीरा देवी को निष्पादित किया था। उसके अंतिम पृष्ठ पर उपपंजीयक पुष्कर का नोट जमा बंदी में उसने नहीं लिखा, हाथ से बनाई हुई है। जमाबंदी की फोटो प्रति प्रदर्श पी-6 है। वह नहीं बता सकता कि कितनी-कितनी दिनांक से



कितनी दिनांक तक वह वहां पोस्टेड था। वह लगभग 4 वर्ष तक था। यह बात सही है कि साधारण तौर पर कोई जमीन खरीदता है तो जमाबंदी व रजिस्ट्री देखकर ही लेता है। मीरा व सुखदेव ने जमाबंदी के रिकॉर्ड के अनुसार ही किसी प्रकार की धोखाधड़ी बेइमानी नहीं की है।

साक्षी **पीडब्ल्यू-7 कंचन भाटी** ने सशपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 19.04.2011 को पुलिस थाना पुष्कर पर उपनिरीक्षक प्रोबेशनर के पद पर तैनात थी। उस रोज एसएचओ दिनेश कुमावत ने मुकदमा नंबर 34/11 धारा 420, 406, 120बी आईपीसी में उसके और शक्तिदान सिंह एसआई के सामने मुलजिमा मीरा को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी शक्तिदान एसआई के हस्ताक्षर है, जिन्होंने उसके सामने हस्ताक्षर किए थे तथा साथ काम करने की वजह से उनके हस्ताक्षर पहचानती है तथा एकस स्थान पर मुलजिमा मीरा की अंगूठा निशानी है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मुलजिम को उसके सामने थाने पर गिरफ्तार किया था। उसे ध्यान नहीं है कि मुलजिम स्वयं थाने पर आई या एसएचओ लेकर आए थे। यह कहना गलत है कि उसके सामने प्रदर्श पी-8 नहीं बनाई है और एसएचओ के कहने पर उसने हस्ताक्षर किए हो।

साक्षी **पीडब्ल्यू-8 प्रभूराम** ने सशपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 05.07.2011 को पुलिस थाना पुष्कर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज एसएचओ दिनेश कुमावत ने मुकदमा नंबर 34/11 धारा 420, 406, 120बी आईपीसी में उसके और कृष्ण कुमार के सामने मुलजिम सुखदेव सिंह को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-9 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिम सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर है व ई से एफ कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर है, जिन्होंने उसके सामने हस्ताक्षर किए थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मुलजिम मुलजिम सुखदेव सिंह थाने पर स्वयं आया था या एसएचओ पकड़ कर लाए, वह नहीं बता सकता है। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-9 पर उसने थानाधिकारी के कहने पर हस्ताक्षर किए हों। फिर कहा कि उसके सामने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार करके फर्द बनाई थी

साक्षी **पीडब्ल्यू-9 प्रभू पुत्र उगमा** ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक 10.06.2008 को वह सब्जी बेचने अजमेर गया था, तो उसके गांव के सुखदेव व मीरा ने उसे कलेक्ट्री बुलाया और वहां एक सरदार बैठा था, तब उन्होंने उसके एक कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। उन्होंने यह कहा कि वे जमीन बेच रहे हैं तो उसने हस्ताक्षर कर दिए। वापस अपनी दुकान चला गया। प्रदर्श पी-10 पर अंतिम पृष्ठ पर ए से बी उसके बतौर साक्षी हस्ताक्षर हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि मीरा व सुखदेव ने जब प्रदर्श पी-10 एग्रीमेंट किया था तब हरबंस को यह कहते हुए कि उक्त सम्पूर्ण जमीन हमारी है, एग्रीमेंट किया था। यह कहना गलत है कि उसके सामने हरबंस ने एक लाख रुपये दिए हों। फिर कहा कि आगे-पीछे दिए होंगे। यह कहना सही है कि हरबंस, मीरा व सुखदेव के मध्य 6,25,000/- में सौदा तय हुआ था। उसे आज यह ध्यान नहीं है कि सुखदेव ने 100 रुपये का स्टॉम्प थैले में निकालकर दिया हो और टाईप कराया हो। यह कहना



गलत है कि प्रदर्श पी-10 पर उसके सामने मीरा ने हस्ताक्षर किए हों। अज खुद कहा कि उसने मात्र खुद के हस्ताक्षर किए थे वही ध्यान है। यह कहना भी गलत है कि उसने प्रदर्श पी-10 पढ़कर समझकर हस्ताक्षर किए हों। यह कहना सही है कि वह होकरा का है। उसे इस बात की जानकारी है कि जमीन में मीरा का हिस्सा आधा ही था। यह कहना गलत है कि रजिस्ट्री कि समय भी सुखदेव ने उसे गवाह के तौर पर साथ चलने को कहा हो। यह कहना भी गलत है कि उसे बाद में पता चल गया हो कि मीरा और सुखदेव ने मिलकर उक्त हरबंस को बेची हुई जमीन अन्य को बेच दी हो और उक्त तथ्य की उसे जानकारी हो। पुलिस में उसके बयान हुए थे उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी-11 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया सुनकर कहा कि गलत लिखा है, उसने नहीं लिखाया है। यह कहना सही है कि मुलजिमान उसके गांव के और उसके जानकार है। यह कहना भी सही है कि सुखदेव व मीरा उसके साथ ही पढा व सब्जी बेचते हैं लेकिन यह कहना गलत है कि मीरा व सुखदेव उसके जानकार होने के कारण तथा उसके साथ सब्जी बेचने के लिए उन्हें बचाने के लिए आज वह झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि मीरा व सुखदेव ने हरबंस के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की है। हरबंस ने मीरा व सुखदेव से रुपये लेने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज कराय है।

साक्षी **पीडब्ल्यू-10 भंवर सिंह** ने सशपथ पर कथन किया कि आज से लगभग 13 साढे 13 साल पहले जुलाई 2011 में उसके और मूलचंद के सामने 420 के मामले में हरबंस सिंह ने मूल इकरारनामा पीएस पुष्कर पर पेश किया था। उक्त इकरारनामे पर मीरा की फोटो लगी थी, जिसको जरिये फर्द जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी-12 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा पेश किया इकरारनामा प्रदर्श पी-10 है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि प्रदर्श पी-10 में क्या लिखा पढ़ी है, उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी-10 की लिखापढ़ी उसके सामने नहीं हुई थी, न ही उसके प्रदर्श पी-10 पर हस्ताक्षर हैं।

साक्षी **पीडब्ल्यू-11 अनिल भारद्वाज** ने सशपथ पर कथन किया कि वह कलेक्ट्रेट अजमेर में स्टॉम्प वैण्डर का काम करता है। दिनांक 09.06.2008 को सुखदेव सिंह निवासी कानस उसके पास आया था ओर उसके से 100 रुपये का स्टॉम्प एफ545125 वास्ते इकरारनामा श्रीमती मीरा पत्नी श्री सुखदेव के नाम से खरीद कर लेकर गया, जिसका इन्द्राज उसने उसके स्टॉम्प रजिस्टर के कमांक 637 दिनांक 09.6.2008 पर किया था तथा स्टॉम्प के पुश्त भाग पर उसने उक्त पृष्ठांकन अंकित करके क्रेता सुखदेव के हस्ताक्षर भी कराये थे। साथ में स्टॉम्प रजिस्टर पर भी हस्ताक्षर कराये थे। उससे खरीदा गया स्टॉम्प प्रदर्श पी-10 है जिसके पुश्त भाग पर सी से डी उसके द्वारा पृष्ठांक अंकित है तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर है तथा जी से एच स्टॉम्प क्रेता सुखदेव के हस्ताक्षर है, जो उसके सामने करवाये थे तथा दिनांक 08.05.2009 को ही उसके पास सत्तार नाम का व्यक्ति आया था और उसने एक-एक हजार रुपये के तीन स्टॉम्प हरबंस सिंह पुत्र गुरुबच्चन सिंह के नाम से खरीदे थे जिनका भी उसके द्वारा स्टॉम्प रजिस्टर के कमांक 286 पर इन्द्राज किया तथा स्टॉम्पो के पुश्त भाग पर इन्द्राज करके स्टॉम्प केता के हस्ताक्षर करवाये थे। उक्त स्टॉम्प क्रेता ने खरीद बाबत लिए थे। उक्त



स्टॉम्प प्रदर्श पी-3, पी-13, व पी-14 है जिनके पुस्त भाग पर सी से डी इन्द्राज तथा ई से एफ स्टॉम्प खरीददार के हस्ताक्षर तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि प्रदर्श पी-3 जो स्टॉम्प उसके द्वारा दी गई, उसकी आईडी उसके द्वारा नहीं ली गई, ना ही हरबंस सिंह की आईडी ली, ना ही हरबंस सिंह ने स्टॉम्प खरीदे। उसने प्रदर्श पी-3 की रजिस्ट्री वास्ते पंजीयन पेश नहीं की थी। प्रदर्श डी-1 का ए से बी भाग उसने नहीं दिया। प्रदर्श पी-10 जब उसने स्टॉम्प बेचा था, तब उसने आईडी नहीं ली थी और ना ही प्रदर्श पी-10 व पी-3 की उसको कोई जानकारी है, जिस रजिस्टर पर इन्द्राज स्टॉम्प बेचान का था, वो उसके पास नहीं है।

साक्षी पीडब्ल्यू-12 दिनेश कुमार ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 18.02.2011 को थानाधिकारी पुलिस थाना पुष्कर के पद पर तैनात था। उस रोज परिवारी हरबंस सिंह ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट उसके सामने पेश की, जिस पर उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा 420, 406, 120 बी आईपीसी, मुकदमा नंबर 34/2011 में दर्ज कर अनुसंधान स्वयं के जिम्मे किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 है जिस पर ए से बी कार्यवाही पुलिस अंकित कर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ परिवारी हरबंस सिंह के हस्ताक्षर है, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी-16 है, जिस पर भी ए से बी उसके, सी से डी परिवारी हरबंस सिंह के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान गवाहन इन्द्र सिंह, कालू सिंह, प्रभु, बिरदीचन्द गंगवाल, विरेन्द्रजीत सिंह, अनिल भारद्वाज, मदन, सत्तार, श्रीमती तोफी, मोहन, प्रदीप चोमाल, ताराचंद प्रजापत, परिवारी हरबंस सिंह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए। दिनांक 28.03.2011 को परिवारी हरबंस सिंह ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर सत्तार व मदन गवाहन के समक्ष असल विक्रय पत्र मीरा द्वारा परिवारी के पक्ष में निष्पादित किया था, को पेश किया, जिस पर उसके द्वारा गवाहन के समक्ष उक्त विक्रय पत्र को जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी-2 जब्त किया जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ पेशकर्ता हरबंस सिंह व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। असल विक्रय पत्र प्रदर्श पी-3 है। दौराने अनुसंधान दिनांक 18.07.2011 को परिवारी हरबंस सिंह ने थाना हाजा पर उपस्थित होकर गवाहन भंवर सिंह, मूलसिंह के समक्ष उसके एक 100 रुपये के स्टॉम्प पर किया गया मूल इकरारनामा पेश किया, जिसको उसने वजह सबूत जरिये फर्द जब्त किया फर्द प्रदर्श पी-12 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन, ई से एफ पेशकर्ता हरबंस सिंह व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। असल इकरारनामा प्रदर्श पी-10 है जो मीरा द्वारा परिवारी के पक्ष में किया गया था, उसके द्वारा जरिये प्रदर्श पी-12 जब्त किया गया था। तत्पश्चात उसके द्वारा दौराने अनुसंधान परिवारी के तितम्बा बयान लिए जाकर शामिल पत्रावली किए। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान पटवारी होकरा से विवादित खसरा नंबर 2093 का नक्शा ट्रेस व जमाबंदी ली जाकर शामिल पत्रावली की, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी-7 है जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी-6 है जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान उपपंजीयन पुष्कर को संबंधित खसरा नंबर 2093 के संबंध में रजिस्ट्री व दस्तावेज की प्रति बाबत उसके द्वारा तहरीरी दी गई, जिस



पर उपपंजीयन पुष्कर द्वारा जरिये पत्र दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां पेश की जो उसके द्वारा शामिल पत्रावली की। उपपंजीयन पुष्कर का पत्र प्रदर्श पी-17 है जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। उक्त खसरा 2093 का संपूर्ण हिस्सा जो की मीरा देवी द्वारा जरिये विक्रय पत्र प्रदर्श पी-3 परिवादी को बेचान किया था, उसी का आधा हिस्सा सुखदेव द्वारा जरिये रजिस्ट्री प्रदर्श पी-5 मनोज यादव को बेचान किया, उसकी प्रमाणित प्रति उसके द्वारा ली जाकर शामिल पत्रावली की, जिस पर सी से डी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। उपपंजीयन अजमेर से भी उसके द्वारा दौराने अनुसंधान मीरा द्वारा हरबंस के नाम किए गए विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति भी ली जाकर शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी-18 है जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान तोफी से सुखदेव के पक्ष में खसरा 2093 व 2094 का हिस्सा स्वयं के नाम जरिये विक्रय पत्र किया जाकर उपपंजीयन पुष्कर से करवाया गया जिसकी रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति भी ली जाकर शामिल पत्रावली की, जो प्रदर्श पी-19 है जिस पर ए से बी शामिल पत्रावली का नोट अंकित कर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दौराने अनुसंधान आरोपी मीरा पत्नी सुखदेव सिंह, निवासी कानस के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर गवाहन शक्तिदान सिंह व कंचन भाटी के समक्ष मुलजिमा मीरा को जरिये फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-8 है जिस पर ए से बी, सी से डी गवाहन ई से एफ उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर मुलजिमा का अंगूठा निशानी है तथा दिनांक 05.07.2011 को मुलजिम सुखदेव सिंह पुत्र गैना को भी कृष्ण कुमार और प्रभूराम गवाहन के समक्ष जरिये फर्द गिरफ्तार किया जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-9 है जिस पर ए से बी, ई से एफ गवाहन, सी से डी मुलजिम तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिमा मीरा पत्नी सुखदेव सिंह व सुखदेव सिंह पुत्र गैना रावत के विरुद्ध धारा 420, 120 बी आईपीसी में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उनके विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में ही चार्जशीट किताकर चालान न्यायालय में पेश किया। चार्जशीट के प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके मय सील हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि आरोपिया मीरा ने परिवादी के पक्ष में सम्पूर्ण खसरे का विक्रय पत्र निष्पादित किया था, जबकि दूसरा बेचान उसके पति सुखदेव ने उसी खसरे का आधा भाग बेचान किया था। यह कहना सही है कि सुखदेव से परिवादी ने कोई जमीन क्रय नहीं की थी। अजखुदकहा की मीरा के बेचान में सुखदेव बतौर गवाह मौजूद था। यह कहना सही है कि परिवादिया अनपढ़ है, अंगूठा निशानी करती है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-3 पर जो बेचान मीरा द्वारा किया गया था उसमें आरोपिया मीरा का पति सुखदेव गवाह नहीं है, अज खुद कहा की विक्रय से पहले इकरारनामा में सुखदेव गवाह भी है तथा रकम प्राप्त करने की रिसिप्ट भी उसके द्वारा दी गई है। आरोपिया मीरा के राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 2093 की कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आ रही थी और मीरा ने इतने ही रकबे का बेचान किया था। यह कहना सही है कि इकरारनामा बेचान प्रदर्श पी-10 में द्वितीय पक्ष/परिवादी की न तो फोटो है, ना लिखा हुआ है एवं गवाह सत्तार पुत्र उमर खां, जाति मुसलमान, निवासी बबाइचा जिला अजमेर लिखा हुआ है, उसके सामने नीले पेन से हस्ताक्षर है। अज खुद कहा कि गवाहों के नाम



के ऊपर हस्ताक्षर हैं एवं यह परिवादी के ही हस्ताक्षर है। यह कहना सही है कि परिवादिया का पति इकरारनामा में बतौर गवाह नहीं है बल्कि सहमतिकर्ता है। यह कहना सही है कि जितनी इकरारनामा प्रदर्श पी-10 में वर्णन की गई है उतनी ही जमीन का प्रदर्श पी-3 विक्रयपत्र में भी जमीन की रजिस्ट्री करवा दी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-5 में वर्णित कृषि आराजी का कोई इकरारनामा सुखदेव स्वयं के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया। अज खुद कहा उसकी पत्नी द्वारा किए इकरारनामा प्रदर्श पी-10 में वह स्वयं सहमतिकर्ता था तथा स्टॉम्प खरीद भी उसके द्वारा किया गया था।

प्रश्न:- आरोपी सुखदेव द्वारा प्रदर्श पी-5 की रजिस्ट्री कराते वक्त राजस्व रिकार्ड में सुखदेव के नाम कितनी जमीन थी?

उत्तर:- प्रदर्श पी-5 की रजिस्ट्री कराते वक्त आरोपी सुखदेव के पास खसरा नं 2093 का कुल रकबा एक बीघा दस बिस्वा था।

यह कहना सही है कि रजिस्ट्री के समय आरोपी सुखदेव के पास एक बीघा दस बिस्वा जमीन थी और उसकी आधी जमीन की उसने रजिस्ट्री करवाई थी। यह कहना गलत है कि आरोपिया मीरा ने जो इकरारनामा किया था, उसमें विवादित खाता नंबर एवं खसरा नंबर अलग है एवं सुखदेव द्वारा जो रजिस्ट्री कराई थी उसमें खाता नंबर व खसरा नंबर अलग है। यह कहना सही है कि आरोपिया द्वारा जो इकरारनामा निष्पादित किया गया था उसमें खसरा नंबर 2093 ही है जबकि सुखदेव द्वारा रजिस्ट्री करवाई गई थी उसमें 2093 एवं 2094 खसरा नंबर है। प्रदर्श पी-3 व पी-10 को उसने एफएसएल के लिए नहीं भेजा। प्रदर्श पी-10 में वर्णित इबारत के बारे में की सुखदेव ने पैसे लिए या नहीं लिए, सुखदेव के हस्ताक्षर है या नहीं इस बारे में उसने कोई जांच नहीं करवाई। मीरा देवी ने जिससे जमीन खरीदी थी उसका दस्तावेज उसने प्राप्त किया था जो शामिल पत्रावली है। वह रेवेन्यू रिकार्ड के बारे में जानता है। यह बात सही है प्रदर्श पी-1 उपपंजीयक कार्यालय से लेकर उसके द्वारा ही पेश किया गया है। प्रदर्श पी-1 में लास्ट पृष्ठ पर जो इबारत उपपंजीयन द्वारा लिखी हुई है वो उसने पढ़ी थी जो ए से बी है। यह बात सही है कि खसरा नंबर 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा ही मीरा देवी ने तोफी से खरीद किया था। अज खुद कहा कि मीरा ने उक्त खसरे के रकबे का आधा हिस्सा ही खरीद किया था परन्तु षडयंत्रपूर्वक परिवादी को संपूर्ण हिस्से का बेचान किया, जिसका उसको अधिकार नहीं था। प्रदर्श पी-3 में स्टॉम्प हरबंस ने खरीदा या किससे खरीदवाया इसका अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया है। उसने इसकी जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पटवारी से प्राप्त किया था। राधा देवी व तोफी देवी का आधा-आधा हिस्सा विरासत के आधार पर था। तोफी देवी ने सुखदेव को खसरा नंबर 2093 व 2094 में से संपूर्ण हिस्सा 1 बीघा 12 बिस्वा में से संपूर्ण हिस्से का बेचान किया था। यह कहना सही है कि सुखदेव ने हरबंस को जमीन नहीं बेची थी परन्तु उसकी पत्नी मीरा द्वारा खसरा नंबर 2093 के संपूर्ण हिस्से के बेचान की जानकारी सुखदेव को थी और सुखदेव मीरा द्वारा बेचान एग्रीमेंट में सहमतिकर्ता भी था। यह कहना सही है प्रदर्श पी-3 के विक्रय पत्र में सुखदेव गवाह नहीं है, अज खुद कहा बेचान एग्रीमेन्ट प्रदर्श पी-10 में स्टॉम्प खरीददार सुखदेव स्वयं है तथा सहमतिकर्ता भी सुखदेव स्वयं है। प्रदर्श पी-10 के बारे में उसने जानकारी की थी व गवाहों के बयान लिए थे। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-



10 के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ पर हरबंस के हस्ताक्षर नहीं हैं, अज खुद कहा अंतिम पृष्ठ पर हरबंस के हस्ताक्षर हैं। आज उसे याद नहीं है कि उसने मौका देखा या नहीं देखा। उस जमीन के आस-पास वालों के बयान उसने नहीं लिए थे। खसरा नंबर 2093 एकल खाता था, इसलिए तरमीम की आवश्यकता नहीं था। प्रदर्श पी-10 में जो स्टॉम्प लगा हुआ है वो किससे खरीदा उसके रजिस्टर की प्रति उसने नहीं ली। पुष्कर में तहसील है, जहां पर तहसीलदार व उप तहसीलदार है। यह बात सही है प्रदर्श पी-3 अजमेर उपपंजीयक के समक्ष निष्पादित हुई है, अज खुद कहा कि यदि दोनों पक्ष सहमत है तो विक्रयपत्र कहीं भी निष्पादित करा सकते हैं। प्रदर्श पी-10 व प्रदर्श पी-3 में काफी लम्बा समय अंतराल होने के बारे में उसने अनुसंधान नहीं किया। प्रदर्श पी-6 के बारे में उसे जानकारी है। यह कहना सही है कि मीरा ने जो हरबंस को बेची वो तोफी देवी का जो आधा हिस्सा खरीद किया था उसी को बेचा था। यह कहना सही है कि तोफी देवी व राधा देवी की सामलाती आधी-आधी जमीन थी। खसरा नंबर 2093 में से तोफी देवी ओर राधा देवी प्रत्येक का 15-15 बिस्वा जमीन हिस्से में आती थी। नामांतरण संख्या 959 दिनांक 20.08.2007 को तोफी ने अपने हिस्से की आधी जमीन मीरा को बेचान की थी, उसका नामांतरण मीरा देवी के नाम हुआ था। तत्पश्चात राधा देवी की फौत हो जाने पर राधा देवी का जो आधा हिस्सा था, उसका नामांतरण संख्या 1095 दिनांक 23.05.2009 को तोफी देवी के पक्ष में स्वीकार हुआ था। यह कहना गलत है कि राधा देवी को विरासत में मिली जमीन को सुखदेव ने खरीदी हो। यह कहना सही है कि खसरा नंबर 2093 व 2094 का 1 बीघा 12 बिस्वा जमीन तोफी देवी ने सुखदेव को बेची। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-19 उसने उसके अनुसंधान में लिया, अज खुद कहा कि तोफी देवी ने खसरा नंबर 2093 का 1/2 अपने हिस्से का संपूर्ण भाग 2007 में मीरा देवी को बेच दिया था। उसके बाद राधा देवी की फौत होने पर उसके हिस्से का नामांतरण भी तोफी देवी के नाम होने से उसके हिस्से में राधा देवी का 1/2 भाग आया था परन्तु सुखदेव ने ये जानते हुए कि उसकी पत्नी ने पूर्व में ही उक्त खसरे का संपूर्ण हिस्सा बेचान कर रखा है, तोफी से बदनियतीपूर्वक संपूर्ण हिस्सा पुनः खरीद करके उसका बेचान मनोज यादव को कर दिया था। यह कहना सही है कि तोफी ओर राधा के कोई वारिस नहीं था। यह भी कहना सही है कि किसी भी पक्षकार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति दूसरे पक्षकार को मिलनी थी। यह कहना सही है कि उसके अनुसंधान में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि राधा ने मौखिक रूप से अपनी संपत्ति मीरा को बेची हो। यह कहना सही है कि मनोज यादव को मीरा ने कोई जमीन नहीं बेची थी। यह कहना सही है कि मनोज यादव ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट उसे पेश नहीं की, ना ही उसने उससे पूछताछ की थी। प्रदर्श डी-1, 2, 3 को उसने देखा था जिनकी ए से बी इबारत उसने जानकारी में है। प्रदर्श पी-3 का ई से एफ भाग उसकी जानकारी में है। यह कहना गलत है कि उसने गवाहन इन्द्र सिंह, कालू सिंह, प्रभु, बिरदीचंद, विरेन्द्रजीत सिंह, अनिल भारद्वाज, मदन, सत्तार, तोफी, मोहन, प्रदीप चौहान, ताराचंद प्रजापत, हरबंस सिंह के बयान उनके कहे अनुसार न लिए हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी-12 उसने मुस्तगीस से मिलकर बनाई हो। यह कहना गलत है कि वह मौके पर न गया हो, यह कहना, भी गलत है कि उसने मुस्तगीस से मिलकर झूठे तथ्यों के आधार पर मुलजिमान के विरुद्ध झूठा आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया हो।



साक्षी पीडब्ल्यू-13 इन्द्र सिंह ने शपथ कथन किया कि वह होकरा का रहने वाला है, उसका खेत सुखदेव और उसकी पत्नी मीरा की खरीदशुदा भूमि खसरा नंबर 2093 के पास ही है। मीरा और सुखदेव की 2093 की आधी भूमि सड़क की तरफ वाली है। उस पर 2010 से मनोज यादव जो दिल्ली का है उसका कब्जा है, शेष आधी भूमि पर मीरा और सुखदेव का कब्जा है। इस भूमि पर खसरा नंबर 2093 की आधी भूमि जो सड़क के नीचे वाली है। उस पर मीरा और सुखदेव ही आते रहते हैं, उन्ही का कब्जा है। हरबंस नाम के आदमी को उसने वहां कभी आते-जाते नहीं देखा, ना ही उनका कब्जा देखा। उसने यह सुना कि मीरा ने हरबंस नाम के व्यक्ति को भूमि बेच दी थी लेकिन उसका कब्जा दिया या नहीं दिया, उसे कोई जानकारी नहीं है। अभी यह भूमि खाली पड़ी है, उसके सामने कोई काश्त नहीं कर रहा। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि उसे यह ध्यान नहीं है कि किसने किसको जमीन बेची है। मीरा, सुखदेव ने हरबंस के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की, ना ही कोई जालसाजी की। खसरा नंबर 2093 की आधी भूमि पर मीरा और सुखदेव का कब्जा है ओर वो ही बोते हैं, खाते हैं।

साक्षी पीडब्ल्यू-14 कालू सिंह ने शपथ पर कथन किया कि वह होकरा का रहने वाला है, उसका भांजा सुखदेव है। उसके भांजे सुखदेव और उसकी पत्नी मीरा की खरीदशुदा भूमि खसरा नंबर 2093 उसके खेत के पास ही थी। वह उसके खेत में झोंपड़ी बनाकर रहता है। इनकी जो आधी भूमि सड़क की तरफ वाली है उस पर 2010 से मनोज यादव जो दिल्ली का है, उसका कब्जा है। शेष आधी भूमि पर मीरा और सुखदेव का कब्जा है। इस भूमि पर खसरा नंबर 2093 की आधी भूमि जो सड़क के नीचे वाली है उस पर मीरा और सुखदेव ही आते रहते हैं, उन्ही का कब्जा है। हरबंस नाम के आदमी को उन्होंने वहां कभी आते-जाते नहीं देखा, ना ही उनका कब्जा देखा। उसने यह सुना कि मीरा ने हरबंस नाम के व्यक्ति को भूमि बेच दी थी लेकिन उसका कब्जा दिया या नहीं दिया, उसके कोई जानकारी नहीं है। अभी यह भूमि खाली पड़ी है उसके सामने कोई काश्त नहीं कर रहा। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि उसे यह ध्यान नहीं है कि किसने किसको जमीन बेची है। मीरा, सुखदेव ने हरबंस के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की, ना ही कोई जालसाजी की। खसरा नंबर 2093 की आधी भूमि पर मीरा और सुखदेव का कब्जा है ओर वो ही बोते हैं, खाते हैं।

साक्षी पीडब्ल्यू-15 हरबंस सिंह ने शपथ पर कथन किया कि उसका अजमेर में नगरा प्रकाश रोड़ पर एचबी फर्नीचर हाउस के नाम से शोरूम है, जहां पर सत्तार लकड़ियां लाता रहता है, इस कारण उसका परिचित है। सन 2008 में सत्तार ने और होकरा के मदन ने होकरा में उसे एक खेत दिखाया था ओर उसे खेत खरीदना भी था जिस पर उसने जाकर खेत देखा और उसे पसंद आने पर जब उसने कागजात दिखाने के लिए कहा तो सत्तार व मदन के साथ सुखदेव आया जिसने उसे रजिस्ट्री दिखाई व बताया की यह खेत है। खसरा नंबर 2093 का एक बीघा 10 बिस्वा का रकबा है, जिसे उसने तोफी से खरीद की रजिस्ट्री बतायी जिस पर उसने कागजात देखे उक्त खेत खरीदने की सहमति दे दी व दिनांक 10.06.2008 को उनकी मीटिंग हुई तो उनके 6,25,000/-रूपये में उक्त खेत का सौदा, जो की एक बीघा 10 बिस्वा



का था, हो गया। उसने उन्हे 1 लाख रूपये एडवांस देकर सुखदेव की पत्नी मीरा से इकरारनामा हुआ उस समय सुखदेव भी वहां उपस्थित था जिसने बतौर गवाह, सहमति देने के रूप में हस्ताक्षर किए। इकरारनामा प्रदर्श पी-10 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ मीरा के पति सुखदेव के हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर मीरा की अंगूठा निशानी है तथा वाई स्थान पर मीरा की फोटो चस्पा है जो मीरा ने उक्त इकरारनामा निष्पादन के समय उसके सामने लगायी थी व सुखदेव ने हस्ताक्षर किए उसमें गवाह के तौर पर सत्तार व प्रभू ने हस्ताक्षर किए थे। ए से बी प्रभू व जी से एच सत्तार के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने उसके सामने उक्त इकरारनामा निष्पादन के समय हस्ताक्षर किए। ततपश्चात उसने वहां उपस्थित लोगो व गवाहन के समक्ष 1 लाख रूपये मीरा व सुखदेव को दे दिए जिन्होंने गिन कर रख लिए थे। तोफी द्वारा मीरा को की गई रजिस्ट्री में 1 बीघा 10 बिस्वा संपूर्ण रकबा का बेचान किए जाने का लिखा हुआ था फिर उसने उन्ही के द्वारा दिखाये दस्तावेज के आधार पर उक्त खेत का सौदा तय करके दिनांक 11.05.2009 को खेत खसरा नंबर 2093 का संपूर्ण रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खरीद लिया तथा शेष बची राशि 5,25,000/-रूपये मीरा व सुखदेव को भुगतान किया फिर मीरा व सुखदेव ने उसे मौके पर जाकर खसरा नंबर 2093 का संपूर्ण रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा का कब्जा उसे संभलाकर हम अजमेर गए जहां उपपंजीयन के समक्ष सत्तार व मदन गवाह के समक्ष मीरा ने सुखदेव की उपस्थिति में उसके नाम रजिस्ट्री प्रदर्श पी-3 करवा दी जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं तथा एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है तथा वाई स्थान पर विक्रेता मीरा के हस्ताक्षर हैं। फिर वह ज्यादातर अपने फर्नीचर शोरूम संभालने के कारण खेत कभी-कभी संभाल पाता है इसलिए पुष्कर आना कम ही होता है। फिर 2011 में साल के शुरु में जब वह उसका खेत संभालने पुष्कर आया तो उसे पता चला की उसके उक्त खरीदशुदा खेत खसरा नंबर 2093 जो रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा था उसमे से आधे भाग को सुखदेव और मीरा ने बेईमानी के आशय से षडयंत्र करके मनोज यादव को बेचान कर दिया जब उसने रजिस्ट्रार कार्यालय से रजिस्ट्री की नकले ली तो तोफी द्वारा मीरा को की गई रजिस्ट्री की नकलो से तथा सुखदेव द्वारा मनोज यादव को किए गए बेचान से उसे पता चला की सुखदेव व मीरा ने उसे संपूर्ण भू भाग बेचने के पेटे पैसे प्राप्त कर रजिस्ट्री करवाई व इस तथ्य का सुखदेव को ज्ञान होते हुए उसके खरीदशुदा खेत का आधा भाग मनोज यादव को बेच दिया। उसने दिनांक 18.02.2011 को पुलिस थाना पुष्कर पर घटना की लिखित रिपोर्ट पेशी की जो प्रदर्श पी-15 है जिस पर जी से एच उसकी रिपोर्ट व ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी-16 है जिस पर भी सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। 18.02.11 को उसने उसके को मीरा द्वारा किया गया मूल इकरारनामा भंवर सिंह, मूलचंद गवाह के समक्ष थानाधिकारी के समक्ष पेश किया जिसको जरिये फर्द प्रदर्श पी-12 जब्त किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। साथ ही दिनांक 28.03.11 को उसने उसका मूल विक्रय पत्र जो मीरा ने उसके पक्ष में निष्पादन कर रजिस्ट्री कराई एसएचओ साहब को सत्तार व मदन गवाह के समक्ष पेश किया जिसको जरिये फर्द प्रदर्श पी-2 जब्त किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि वह आठवी कक्षा तक पढ़ा लिखा है। वह पढ़ना लिखना जानता है। यह कहना गलत है कि



जमीन का सौदा सत्तार ने करवाया हो। जमीन उसको सत्तार ने ही दिखाई थी। उसने जमीन लेने से पहले जमीन के कागज देखे थे। प्रदर्श पी-10 के पहले व दूसरे पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, पीछे के पेज पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे ध्यान नहीं है कि प्रदर्श पी-10 कहां लिखा गया था। प्रदर्श पी-10 पर उसने पढ़ कर हस्ताक्षर करे थे। उसे ध्यान नहीं है कि प्रदर्श पी-10 के बाद में रजिस्ट्री उसे कब करवानी थी। प्रदर्श पी-3 स्टॉम्प किसने खरीदे थे उसे ध्यान नहीं है, फिर कहा उसको बताया गया कि मीरा ने स्टॉम्प खरीदा है। प्रदर्श डी-3 प्रथम सूचना संख्या जो उसके खिलाफ दर्ज कराई उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। वह जमीन के नामांतरण के बारे में नहीं जानता है, फिर कहा कम समझता है। यह कहना सही है कि जमीन लेने से पहले जमीन का नामांतरण देखा जाता है। वह उक्त जमीन को अपने नाम कराने के लिए तहसील कार्यालय में नहीं गया, ना ही तरमीम के लिए गया। प्रदर्श पी-1 की उसे जानकारी नहीं थी, जब वह जमीन लेने गया। मीरा ने किससे जमीन खरीदी इसकी उसे जानकारी नहीं है, फिर कहा तोफी और हालू से जमीन खरीदी थी। उसने राधा व तोफी से जमीन नहीं खरीदी अज खुद कहा डेढ बीघा का एग्रीमेंट मीरा ने किया था। मीरा ने ही रजिस्ट्री कराई। यह कहना सही है कि रजिस्ट्री में 37000/-रुपये लिखे हुए हैं, 6,25,000/- रुपये लिखे हुए नहीं है। प्रदर्श पी-3 को उसने पढ़कर दस्तखत करा था। उसको इस बारे में जानकारी नहीं है कि मीरा से किसने जमीन खरीदी व कितना बीघा बिस्वा खरीदी। उसने डेढ बीघा खरीदी थी। उसकी पूरी रजिस्ट्री कराई थी। तोफी ने मीरा को जो जमीन बेची उसकी रजिस्ट्री उसने नहीं देखी। प्रदर्श डी-4 उसने नहीं देखी। मनोज यादव को कौनसे खसरा में से जमीन बेची उसे ध्यान नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि खसरा नंबर 2094 में से मनोज यादव को जमीन बेची हो। उसे जानकारी नहीं है कि तोफी देवी ने राधा देवी का हिस्सा सुखदेव को बेचा हो। सुखदेव ने वो जमीन मनोज यादव को बेची हो। उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुष्कर में तहसील है, वहां पर रजिस्ट्री होती है, अजमेर में भी होती थी, पुष्कर में भी होती थी। यह कहना गलत है कि उसने जानबूझकर महिला के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर, अजमेर में रजिस्ट्री करवाई हो। उसे ध्यान नहीं है कि किस दिनांक को उसकी रजिस्ट्री हुई थी व किसके द्वारा पंजीयन हेतु पेश किया गया था। उसे ध्यान नहीं है किस व्यक्ति से रजिस्ट्री टाईप करवाई थी। प्रदर्श डी-5 का ए से बी भाग उसने पुलिस को दिया था। यह कहना सही है प्रदर्श डी-4 को देखकर ही उसने रजिस्ट्री करवाई थी। उसने 5 लाख रुपये मीरा व सुखदेव को दिए, इसका कोई अलग से इकरारनामा नहीं बनाया था। प्रदर्श पी-10 की इबारत उसके द्वारा लिखी गई है और सुखदेव के हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि इस इबारत का नोटेरी नहीं कराया गया, ना ही गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गए थे। उसे ध्यान नहीं है कि प्रदर्श पी-10 के पिछले वाले पृष्ठ की इबारत कहां लिखी गई थी। वह सत्तार को जानता है, प्रभु को नहीं जानता है। रजिस्ट्री के गवाहन सत्तार व मदन को जानता है। सत्तार ने ही उसे जमीन दिखाई थी। यह कहना गलत है कि सत्तार उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श पी-3 के स्टॉम्प लेकर आया हो व उसी ने ही टाईप कराया हो व टाईप की टंकण त्रुटि के कारण उसने मीरा व सुखदेव पर मुकदमा किया हो। जमीन आज उसके कब्जे में है, उसने जमीन पर तारबंदी कर रखी थी, उसकी जमीन पर तारबंदी हो रखी है। उसे ध्यान नहीं है कि मनोज की जमीन, उसकी जमीन से कितनी दूरी पर है। प्रदर्श पी-15 के बारे



में उसे जानकारी नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि पुलिस वालों ने उसके कितने कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, फिर कहा कागज कितने थे उसे जानकारी नहीं है। 2011 के आसपास उसने रजिस्ट्री व इकरारनामा थाने पर दिया था। उसे ध्यान नहीं है कि इकरारनामा व रजिस्ट्री अलग-अलग दिया हो। प्रदर्श पी-1 के बारे में उसे पूरा ध्यान नहीं है। तोफी देवी ने खसरा संख्या 2094 में से अपने हक व हिस्से का बेचान सुखदेव को किया था। उसे ध्यान नहीं है कि सुखदेव ने कितने खसरा में से मनोज को बेची हो उसे ध्यान नहीं है। उसने तहसील में उक्त जमीन के बारे में जानकारी नहीं ली थी। उसने मनोज यादव की रजिस्ट्री केन्सिल के लिए कोई दावा सिविल न्यायालय में पेश नहीं किया, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने मनोज यादव ने जो जमीन खरीदी उसके कागज नहीं देखे। एग्रीमेंट का स्टॉम्प व रजिस्ट्री के स्टॉम्प उसने ही खरीदे थे। प्रदर्श पी-3 व पी-10 में वर्णित स्टॉम्प उसने खरीदे थे, फिर कहा एग्रीमेंट का स्टॉम्प उसने नहीं खरीदा। उसने प्रदर्श पी-3 के स्टॉम्प खरीदे तब आई डी दी या नहीं उसे ध्यान नहीं है। उसने स्टॉम्प अजमेर से खरीदे थे। उसने जमीन खरीदने से पहले चौंसाला व वर्किंग जमाबंदी नहीं देखी थी क्योंकि वह समझता नहीं है। सत्तार को उसने कहा था कि जमीन के कागज देख लेना, फिर कहा सत्तार ने उसे कहा था कि जमीन के कागज उसने देख लिए हैं। उसने 5 लाख रुपये चेक व ड्राफ्ट से नहीं दिए थे, नगद दिए थे। उसने पैसे सुखदेव के सामने मीरा को जमीन पर उसके घर पर दिए थे। रजिस्ट्री के 12 दिन पहले ही उसने 5 लाख रुपये मीरा को दिए थे। यह कहना सही है कि ना तो उसकी तहरीरी रिपोर्ट में, ना ही उसके पुलिस बयान में 5 लाख रुपये रजिस्ट्री से 1-2 दिन पहले उसने मीरा को दिए हो, लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी-3 रजिस्ट्री पर सुखदेव के हस्ताक्षर नहीं हैं, अज खुद कहा एग्रीमेंट पर है। यह कहना सही है कि सुखदेव के साथ उसके जमीन का एग्रीमेंट नहीं हुआ था, अज खुद कहा गवाह में साईन कराये थे। प्रदर्श पी-3 के दूसरे पेज पर उसकी फोटो नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने सुखदेव व मीरा से रुपये हड़पने के लिए मुकदमा दर्ज कराया हो, जबकि उसने प्रदर्श पी-1 की ए से बी इबारत पूरी देख ली हो।

साक्षी पीडब्ल्यू-16 बिरदीचंद ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 11.05.2009 को उपपंजीयक अजमेर प्रथम के पद पर तैनात था। उसे रोज दिनांक 11.05.2009 को श्रीमती मीरा पत्नी सुखदेव निवासी कानस और उसके साथ हरबंस सिंह पुत्र गुरु भजन सिंह निवासी अजमेर में गवाह मदन व सत्तार के कार्यालय में उपस्थित हुए और उन्होंने ग्राम होगरा के खाता संख्या नया 419 में पुराना 510 खसरा नंबर 293 रकबा 1-10-00 किस्म बारानी की भूमि की रजिस्ट्री की। उक्त भूमि मीरा द्वारा संपूर्ण स्वयं की होना और एक भाग का स्वामी होने का कथन करते हुए और भूमि हरबंस सिंह के नाम करवाने हेतु पेश की और बताया कि उसकी उक्त संपूर्ण भूमि के पेटे हरबंस सिंह से संपूर्ण प्राप्ति पर प्राप्त कर लिया है। कोई लेन-देन शेष नहीं है। अतः उक्त कब्जा स्वामित्व की भूमि हरबंस सिंह के नाम विक्रय पत्र रजिस्टर्ड का रजिस्ट्री हेतु पेश किया जिस पर उसके द्वारा उक्त विक्रयपत्र प्रदर्श-3 का पंजीयन किया जाकर जाकर उक्त दस्तावेज का पंजीयन पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या 1672 के पृष्ठ संख्या 103 क्रम संख्या 2009001861 पर पंजीबद्ध कर अतिरिक्त पुस्तक संख्या एक जिल्द संख्या 3682 के पृष्ठ संख्या 19 से 26 पर चस्पा किया। रजिस्ट्री पर उसके



समक्ष विक्रेता मीरा, क्रेता हरबंस सिंह व गवाह सत्तार व मदन हस्ताक्षर किए थे तथा उक्त संपूर्ण भूमि को मीरा ने स्वयं की होना तथा एक भाग का स्वामी होने का कथन का रजिस्ट्री करवाई और इस संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया। असल रजिस्ट्री प्रदर्श पी-3 है जिस पर एक्स स्थान पर क्रेता हरबंस सिंह तथा वाई स्थान पर विक्रेता मीरा के अंगूठा निशानी है। ई से एफ क्रेता हरबंस सिंह के हस्ताक्षर है। ए से बी गवाह मदन व सी से डी सत्तार के हस्ताक्षर है। दो स्थान पर उसके कार्यालय की सील व उसके हस्ताक्षर है, जो की 3000/-रुपये के तीन स्टॉम्प में एक पाई पेपर पर निष्पादित है। हरबंस सिंह ने मीरा से उक्त भूमि के संबंध में विक्रेता तोफी से 35000/- रुपये में उसके हिस्से को क्रय कर दिनांक 02.07.2001 को विक्रय पत्र को पंजीयन पुष्कर के समक्ष रजिस्टर्ड कराई जाने का कथन का रजिस्ट्री में भी अंकित किया था। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने कथन किया कि प्रदर्श पी-1 का ए से बी भाग उसने देख लिया था। रजिस्ट्री मीरा ने अपने हक-हिस्से की कराई थी। यह कहना गलत है कि उसने रजिस्ट्री का पंजीयन गलत किया हो।

**12-** इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी हरबंस द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 पुलिस थाना पुष्कर पर पेश करने पर हुई, जिसके माध्यम से उसने कथन किया कि दिनांक 11.05.2009 को श्रीमती मीरा की ग्राम होकरा में स्थित आराजीयात, जिसके खाता संख्या नया 419 पुराना 510 खसरा संख्या 2093 रकबा 1-10.00 बिस्वा बा.2 का संपूर्ण हिस्सा परिवादी क्रेता ने खरीद किया। मीरा ने उक्त आराजी का संपूर्ण हिस्सा तोफी से खरीद किया था। उक्त पंजीयन में गवाह सुखदेव है, जो कि मीरा का पति है। दिनांक 21.07.2010 को सुखदेव ने उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 2093 रकबा 1-10.00 का 1/2 हिस्सा मनोज यादव को अवैध बेचान कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी ने उपरोक्त आराजीयात का संपूर्ण रकबा खरीद किया था तथा कब्जा सम्भाल लिया लेकिन मीरा, सुखदेव व तोफी ने षडयंत्र रचकर प्रार्थी की जमीन का अवैध रूप से बेचान कर दिया। इस प्रकार से उपरोक्त रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त मीरा व सुखदेव पर मुख्यतय: यह आरोप है कि उन्होंने आपराधिक षडयंत्र करते हुए ग्राम होकर स्थित नया खाता संख्या 419 व पुराना खाता संख्या 520 के खसरा नंबर 2093 का रकबा 1-10 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांकित 11.05.2009 परिवादी हरबंस को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया, इसके बावजूद भी दिनांक 21.07.2010 को उक्त भूमि पुनः बेचान मनोज यादव को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र कर स्वयं को दोषपूर्ण लाभ पहुँचाने व परिवादी को दोषपूर्ण हानि पहुँचान की नीयत से परिवादी के साथ छल करते हुए परिवादी को बेचान की गई भूमि को पुनः मनोज यादव को बेचान कर दिया।

**13-** अब यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी हरबंस न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू-15 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से कथन किया है कि सत्तार उसका परिचित है। वर्ष 2008 में सत्तार व मदन ने उसे होकरा में खेत दिखाया, जिस पर उसने जाकर



खेत देखा और उसे पसंद आने पर उसने कागजात दिखाने के लिए कहा तो सत्तार, मदन व सुखदेव ने उसे रजिस्ट्री दिखाई व बताया की यह खेत खसरा नंबर 2093 का एक बीघा 10 बिस्वा का रकबा है, जिसे उसने तोफी से खरीद की, रजिस्ट्री बतायी, जिस पर उसने कागजात देख उक्त खेत खरीदने की सहमति दे दी। दिनांक 10.06.2008 को उनकी मीटिंग हुई और उनके 6,25,000/-रुपये में उक्त खेत का सौदा 1 बीघा 10 बिस्वा का हो गया। उसने उन्हे 1 लाख रुपये एडवांस देकर सुखदेव की पत्नी मीरा से इकरारनामा किया, जो इकरारनामा प्रदर्श पी-10 है। तोफी द्वारा मीरा को की गई रजिस्ट्री में 1 बीघा 10 बिस्वा संपूर्ण रकबा का बेचान किए जाने का लिखा हुआ था, फिर उसने उन्ही के द्वारा दिखाये दस्तावेज के आधार पर उक्त खेत का सौदा तय करके दिनांक 11.05.2009 को खेत खसरा नंबर 2093 का संपूर्ण रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा खरीद लिया तथा शेष बची राशि 5,25,000/- रुपये मीरा व सुखदेव को भुगतान किया, जिस पर मीरा ने उसके नाम रजिस्ट्री प्रदर्श पी-3 करवा दी। फिर 2011 में जब वह अपना खेत संभालने पुष्कर आया तो उसे पता चला कि उसके उक्त खरीदशुदा खेत खसरा नंबर 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में से आधे भाग को सुखदेव और मीरा ने मनोज यादव को बेचान कर दिया, जिस पर उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना पुष्कर पर प्रदर्श पी-15 पेश की, जिसके अनुसरण में जारी एफआईआर प्रदर्श पी-16 है। मूल इकरारनामा को जरिये फर्द प्रदर्श पी-12 व मूल विक्रय पत्र को जरिये फर्द प्रदर्श पी-2 उसके सामने अनुसंधान अधिकारी ने जब्त किया। विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त गवाह के बयान दस्तावेज के अभाव में डैफर कर दिए परन्तु आवश्यक समय दिए जाने के बाद भी गवाह के द्वारा अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने कथन किया कि जमीन उसको सत्तार ने ही दिखाई थी और उसने जमीन लेने से पहले जमीन के कागज देखे थे। प्रदर्श पी-10 के पहले व दूसरे पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रदर्श पी-10 पर उसने पढ़ कर हस्ताक्षर किए थे। प्रदर्श डी-3 प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज कराई, उसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। साथ ही यह स्वीकार किया कि जमीन लेने से पहले जमीन का नामांतरण देखा जाता है। वह उक्त जमीन को अपने नाम कराने के लिए तहसील कार्यालय में नहीं गया। प्रदर्श पी-1 की उसे जानकारी नहीं थी, जब वह जमीन लेने गया। साथ ही यह स्वीकार किया कि रजिस्ट्री में 37000/-रुपये लिखे हुए हैं, 6,25,000/- रुपये लिखे हुए नहीं है। प्रदर्श पी-3 को उसने पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। तोफी ने मीरा को जो जमीन बेची उसकी रजिस्ट्री उसने नहीं देखी। प्रदर्श डी-4 उसने नहीं देखा। मनोज यादव को कौनसे खसरा में से जमीन बेची उसे ध्यान नहीं है। उसे ध्यान नहीं है कि खसरा नंबर 2094 में से मनोज यादव को जमीन बेची हो। प्रदर्श डी-5 का ए से बी भाग उसने पुलिस को दिया था। साथ ही यह स्वीकार किया कि प्रदर्श डी-4 को देखकर ही उसने रजिस्ट्री करवाई थी। प्रदर्श पी-10 की इबारत उसके द्वारा लिखी गई है और सुखदेव के हस्ताक्षर है। रजिस्ट्री के गवाहन सत्तार व मदन को जानता है। सत्तार ने ही उसे जमीन दिखाई थी। उसे ध्यान नहीं है कि मनोज की जमीन उसकी जमीन से कितनी दूरी पर है। सुखदेव ने कितने खसरा में से मनोज को जमीन बेची हो उसे ध्यान नहीं है। उसने मनोज यादव ने जो जमीन खरीदी उसके कागज नहीं देखे। सत्तार को उसने कहा था कि जमीन के कागज देख लेना, फिर



कहा सत्तार ने उसे कहा था कि जमीन के कागज उसने देख लिए हैं। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने कथनों में सर्वप्रथम इकरारनामा प्रदर्श पी-10 अपने पक्ष में निष्पादित होना बताया है, जिसका अवलोकन किया गया। यह इकरारनामा दिनांक 10.06.2008 को श्रीमती मीरा प्रथम पक्षकार विक्रेता एवं श्री हरबंस द्वितीय पक्षकार क्रेता के मध्य निष्पादित है, जिसके पृष्ठ संख्या- 1 की पद संख्या 1 में यह अंकित है कि-

"ग्राम होकरा तहसील व जिला अजमेर की आराजी खाता संख्या 419 नया 510 के खसरा संख्या 2093 रकबा 1-10-00 किस्म बारानी-2, जो विक्रेता की बिना साझे अन्य के उसकी मालिकाना हक की क्रयशुदा आराजी है एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में जरिये नामान्तरण संख्या 959 दिनांक 20.08.2007 के विक्रेता के नाम खातेदारी दर्ज है।"

उक्त इकरारनामा के द्वितीय पृष्ठ पर इकरारनामा में वर्णित भूमि को 6,25,000/- रुपये में द्वितीय पक्ष को विक्रय करने का इकरार होना और इसी पृष्ठ की पद संख्या 4 में विक्रय की गई आराजी का विवरण भी दिया गया है, जो इस प्रकार है-

नाम ग्राम	खाता संख्या		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
	नया	पुराना			
होकरा	419	510	2093	1-10-00	बा-2

आगे उक्त इकरारनामा के तृतीय पृष्ठ पर उपरोक्त वर्णित आराजी कुल रकबा एक बीघा 10 बिस्वा मय अन्य उपरोक्त वर्णित आराजी को विक्रय करके यह प्रलेख निष्पादित कर दिया, का अंकन है।

उल्लेखनीय रहे कि उक्त इकरारनामा दिनांक 10.06.2008 को निष्पादित किया गया है। आगे गवाह ने उक्त इकरारनामा के अनुसरण में उसके पक्ष में रजिस्ट्री प्रदर्श पी-3 पंजीबद्ध करवाने का हवाला दिया है, जिसका अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी-3 विक्रयपत्र तादादी मुबलिग 37,000/-रुपये, जिसमें श्रीमती मीरा प्रथम पक्षकार विक्रेता एवं श्री हरबंस द्वितीय पक्ष क्रेता है। उक्त विक्रयपत्र के प्रथम पृष्ठ पर यह अंकित है कि -

ग्राम होकरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित निम्न वर्णित आराजी, जो विक्रेता की बिना साझे अन्य के उसकी क्रयशुदा मालिकाना हक की आराजी है, जिसको विक्रेता ने श्रीमती तोफी पत्नी स्व. श्री हालू जित रावत निवासी ग्राम होकरा तहसील व जिला अजमेर से मुलबिग 35,000/-रुपये में दिनांक 02.07.2007 को क्रय करके उसके विक्रयपत्र का उपपंजीयक पुष्कर जिला अजमेर के कार्यालय में पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 16 क्रम संख्या 7444/07 पेज 179 पर एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 की जिल्द संख्या 8 पेज 1294 से 1297 पर दिनांक 01.01.2009 को पंजीयन एवं चस्पा किया गया है, जिसका राजस्व रिकार्ड वर्किंग जमाबंदी में नामान्तरण दर्ज कराना है, जिस आराजी की विक्रेता ही एकमात्र मालिक, स्वामी, काबिज, खातेदार चली आ रही है।

उक्त विक्रयपत्र के द्वितीय पृष्ठ एवं चतुर्थ पृष्ठ पर प्रतिफल राशि 37,000/-रुपये अंकित है एवं चतुर्थ पृष्ठ पर विक्रित आराजी का विवरण अंकित है, जो इस प्रकार है-

नाम ग्राम	खाता संख्या		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
	नया	पुराना			
होकरा	419	510	2093	1-10-00	बा-2

इस प्रकार उक्त दस्तावेज से यह प्रकट होता है कि मीरा ने विवादित संपत्ति श्रीमती तोफी से 35,000/-रुपये में दिनांक 02.07.2007 को क्रय की और उस विक्रयपत्र का



पंजीयन पुष्कर के पंजीयन कार्यालय में दिनांक 01.01.2009 को कराया। न्यायालय यहां यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि इस दस्तावेज प्रदर्श पी-3 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी को प्रदर्श पी-3 में वर्णित तथ्यों की पूरी जानकारी थी। उक्त परिवादी गवाह ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-15 व उसके अनुसरण में जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-16 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया और साथ ही मूल इकरारनामा की फर्द जब्ती प्रदर्श पी-12 व मूल विक्रयपत्र, जो मीरा के द्वारा परिवादी के पक्ष में निष्पादित किया, उसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी-2 पर स्वयं हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि प्रदर्श डी-3 प्रथम सूचना रिपोर्ट की उसे जानकारी नहीं है। इस सम्बंध में प्रदर्श डी-3 दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रदर्श डी-3 हस्तगत प्रकरण की अभियुक्ता मीरा द्वारा परिवादी हरबंस सिंह के विरुद्ध दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो धारा 420, 423, 467, 468, 471, 383 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस थाना सिविल लाईन्स अजमेर पर दिनांक 18.04.2011 को दर्ज की गई थी। उल्लेखनीय रहे कि हस्तगत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.02.2011 को पुलिस थाना पुष्कर में दर्ज की गई थी। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया कि तोफी ने मीरा को जो जमीन बेची उसकी रजिस्ट्री प्रदर्श डी-4 उसने नहीं देखी। साथ ही प्रदर्श डी-5 पुलिस बयान का ए से बी भाग पुलिस को दिया जाना स्वीकार किया है। उक्त बयान का अवलोकन किया गया, जिस पर ए से बी भाग में यह अंकित है कि-

"तोफी द्वारा मीरा को की गई रजिस्ट्री में एक बीघा 10 बिस्वा संपूर्ण रकबा का बेचान किए जाने का लिखा हुआ था कि फोटो कॉपी उसने पढ़कर उसी रजिस्ट्री के आधार पर ही उसने सौदा तय कर दिनांक 11.05.2009 को श्रीमती मीरा से जरिये रजिस्ट्री"

जिससे प्रकट होता है कि तोफी द्वारा मीरा के पक्ष में निष्पादित की गई रजिस्ट्री में एक बीघा 10 बिस्वा संपूर्ण रकबा का बेचान किए जाने का उल्लेख हुआ था, जो फोटोकॉपी पढ़ने के बाद ही उसी रजिस्ट्री के आधार पर परिवादी ने सौदा तय किया था, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि तोफी द्वारा मीरा को जिस भाग का विक्रय किया गया, उसकी सम्पूर्ण जानकारी परिवादी हरबंस को थी।

**14-** अब अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान के कथनों का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि गवाह प्रदीप चोमाल पीडब्ल्यू-1 जो दिनांक 02.07.2007 को उपपंजीयक पुष्कर के पद पर पदस्थापित था, ने तोफी द्वारा अपने हक व हिस्से की 1/2 भूमि मीरा को विक्रय कर विक्रयपत्र प्रदर्श पी-1 उसके सामने निष्पादित करने व उसे उसके द्वारा पंजीकृत करने बाबत् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। इस सम्बंध में प्रदर्श पी-1 का अवलोकन किया गया, जिसमें लेख्यकर्ती के रूप में तोफी विक्रेती प्रथम पक्ष तथा लेख्यग्रहिता के रूप मीरा क्रेता द्वितीय पक्ष है। विक्रित संपत्ति का विवरण उक्त दस्तावेज के पृष्ठ संख्या-2 पर अंकित है, जो इस प्रकार है-

नाम ग्राम	खाता संख्या		खसरा संख्या	रकबा	किस्म
	नया	पुराना			
होकरा	419	510	2093	1-10-00	बा-2

उक्त विक्रयपत्र प्रदर्श पी-1 के चतुर्थ पेज के पृष्ठ भाग में ए से बी यह अंकित है कि-



" दस्तावेज में वर्णित आराजी में विक्रेती श्रीमती तोफी का कुल हिस्सा 1/2 है।"

साथ ही उक्त गवाह ने यह भी कथन किया कि उसने तो 1/2 भूमि के बेचान का ही इन्द्राज प्रदर्श पी-1 में किया है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने यह कथन किया कि मीरा ने तोफी से अपने हिस्से की जमीन सही खरीदी थी।

**15-** इसी प्रकार आगे अन्य गवाह मोहन पीडब्ल्यू-2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वह तोफी पत्नी हालू का जंवाई है। उसके ससुर हालू के दो पत्नियां थी। एक का नाम राधा ओर दूसरी का तोफी था। उसकी सास तोफी के रतनी और जगनी दो पुत्रियां थी। उसके ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद उसके ससुर हालू के होकरा में स्थित कृषि भूमि उसकी सास तोफी और राधा के नाम आधी-आधी खातेदारी इन्द्राज हो गई थी। उसकी सास तोफी की होकरा में स्थित कृषि भूमि के खसरा नंबर 2093 थे। उक्त भूमि में से अपना 1/2 हिस्सा मीरा को बेचान कर दिया, जो विक्रयपत्र प्रदर्श पी-1 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी तथा ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसकी सास ने अपने हिस्से की जमीन मीरा और सुखदेव को बेचान कर दी थी। मीरा और सुखदेव ने किसी को जमीन बेची हो तो उसकी जानकारी में नहीं है।

**16-** आगे गवाह मदनलाल पीडब्ल्यू-3 ने दिनांक 28.03.2011 को हरबंस सिंह द्वारा उसके सामने पुलिस को मूल रजिस्ट्री प्रदर्श पी-3 पेश करने, जिसे प्रदर्श पी-2 के जरिये जब्त करने और जिस पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है।

**17-** आगे गवाह सन्तार पीडब्ल्यू-4 जो प्रकरण का एक महत्वपूर्ण गवाह है, ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि हरबंस ने मीरा से होकरा में डेढ बीघा जमीन खरीदी थी, जिसका एग्रीमेन्ट दिनांक 10.06.2008 को किया था। कुल 6,25,000/-रुपये में खरीदना तय हुआ था, जिसमें से साईं पेटे एक लाख रुपये उसी दिन दे दिए थे, फिर दिनांक 11.05.2009 को मीरा ने उसके व मदन के सामने रजिस्ट्री करवा दी थी व शेष राशि 5,25,000/-रुपये रजिस्ट्री के समय अदा कर दी। मीरा के पति सुखदेव ने आधी जमीन किसी और को बेच दी व हरबंस के साथ उक्त दोनो ने धोखाधड़ी की। फिर दिनांक 28.03.2011 को हरबंस सिंह ने उसके सामने पुलिस को मूल रजिस्ट्री प्रदर्श पी-2 व पी-3 पेश की, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि वह हरबंस सिंह की फैक्ट्री में कार्य करता है। साथ ही यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-3 में 37000/-रुपये की रजिस्ट्री है, प्रदर्श पी-3 में 6,25,000/-रुपये लिखे हुए नहीं है। इस जमीन का सौदा उसने ही करवाया था। प्रदर्श पी-3 रजिस्ट्री राजीखुशी, बिना किसी दबाव के कराई थी। जमीन का कब्जा हरबंस के पास ही है। उसने एग्रीमेन्ट दिनांक 10.06.2008 पर हरबंस सिंह कहने पर हस्ताक्षर किए थे। आगे यह स्वीकार किया कि हरबंस सिंह ने मीरा से खरीदी वो एग्रीमेन्ट उसे पढ़कर सुनाया था। साथ ही यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-3 में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। आगे यह स्वीकार किया कि इकरारनामा बेचान दिनांक 10.06.2008 हरबंस सिंह के हस्ताक्षर नहीं है। हरबंस को दिनांक 02.07.2007 को तोफी देवी द्वारा मीरा देवी के किए गए हक व हिस्से की रजिस्ट्री के



विक्रयपत्र की प्रति व उसमें लिखी तहसीलदार पुष्कर का नोट को बता दिया था। आगे यह भी स्वीकार किया कि उक्त रजिस्ट्री देखने के बाद हरबंस ने रजिस्ट्री अपने पक्ष में करवाई थी। उक्त रजिस्ट्री दिनांक 02.07.2007 को तोफी देवी का हिस्सा नामांतरण में दर्ज नहीं होने के कारण विवाद हो गया था। मीरा देवी स्वयं ने किसी प्रकार के कूटरचित दस्तावेज नहीं बनाए। आगे यह स्वीकार किया कि पुष्कर में उपतहसील है, जहां पर तहसीलदार बैठता है व रजिस्ट्री होती है व हरबंस ने जानबूझकर रजिस्ट्री पुष्कर में नहीं करवाकर अजमेर में करवाई थी। साथ ही यह स्वीकार किया कि सुखदेव ने तोफी देवी द्वारा खरीदा गया हिस्सा दिनांक 11.05.2009 को इकरारनामा की पालना में नहीं बेचा। दिनांक 11.05.2009 को मीरा देवी ने अपने हक व हिस्से की आराजी भूमि को हरबंस सिंह को बेची व दिनांक 02.07.2007 को मीरा देवी ने तोफी देवी के 1/2 हिस्से को ही हरबंस को बेचा था। दिनांक 11.05.2017 को टंकण त्रुटि के कारण खाता संख्या 419 पुराना 510 खसरा संख्या 1-10-00 बारानी दो में से हक व हिस्सा भूल गए थे, इस कारण हरबंस, मीरा व सुखदेव के मध्य विवाद हो गया था।

**18-** आगे गवाह ताराचंद पीडब्ल्यू-5 ने दिनांक 21.07.2010 को पुष्कर में उपपंजीयक के पद पर कार्यरत रहना और उस दिन सुखदेव द्वारा अपनी ग्राम होकरा में स्थित आराजी भूमि खाता नंबर नया 419 व पुराना 510 खसरा नंबर 2093 और 2094 का 1/2 हिस्सा मनोज यादव को विक्रय कर विक्रयपत्र का पंजीयन उपपंजीयक कार्यालय पुष्कर से करवाना और उसके द्वारा उस विक्रयपत्र का पंजीयन करने बाबत् साक्ष्य दी गई है। साथ ही उक्त गवाह ने कथन किया कि नामांतरण संख्या 1116 दिनांक 13.07.2009 के अनुसार उक्त भूमि का नामांतरण तोफी बेवा हालू, ओम रावत के बजाए सुखदेव के नामांकन स्वीकार हो रखा था, जिस आधार पर ही उक्त भूमि का बेचान सुखदेव ने मनोज यादव के नाम किया था। आगे साक्षी ने कथन किया कि उक्त भूमि के बेचान बाबत् जमाबंदी में अंकन नामांतरण नोट के आधार पर किया गया था और उसके द्वारा निष्पादित किया गया था, जो विक्रयपत्र प्रदर्श पी-5 है। इस संदर्भ में प्रदर्श पी-5 दस्तावेज का अवलोकन किया गया, जिससे प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेज का लेख्यकर्ता सुखदेव विक्रेता प्रथम पक्ष व लेख्यग्रहिता मनोज यादव क्रेता द्वितीय पक्ष है। उक्त विक्रयपत्र प्रदर्श पी-5 के जरिये विक्रित की गई भूमि का विवरण प्रदर्श पी-5 के पृष्ठ संख्या 2 अंकित है, जो इस प्रकार है-

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
नया	पुराना	बी-बी-बी	
419	510	00-02-00	बारानी-2
		01-10-00	बा.2 में से 1/2 हिस्सा।
		किता-2	01-12-00 में से मुझ विक्रेता की संपूर्ण खरीदशुदा

आराजी को विक्रय किया गया है।

आगे साथ ही उक्त दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2 पर संदर्भ में यह अंकित है कि -

"जो कि लेख्य संपत्ति में वर्णित आराजी वाके ग्राम होकरा तहसील व जिला अजमेर के राजस्व वर्किंग जमाबंदी के खाता नंबर 419 में हालू वल्द दूला कौम रावत साकिन देह खातेदार अंकित है। नामा.सं.386 दिनांक 04.12.2009 के अनुसार हालू के स्थान पर विरासत में मु.राधा व तोफी बेवा हालू कौम रावत स्वीकार हुआ। नामा.सं.959 दिनांक 20.08.2007 से जरिये बेचान ख.नं. 2093 रकबा 01-10-00 पर विक्रेती तोफी बेवा हालू रावत के बजाए श्रीमती मीरा पत्नी सुखदेव सिंह जाति रावत निवासी ग्राम कानस के नाम अंकन स्वीकार हुआ।



नामा.सं.1095 दिनांक 23.05.2009 जरिये विरासत राधा फौत होने से ख.नं. 2090 रकबा 00-02-10 पर राधा व तोफी बेवा हालू 1/2 हिस्सा के बजाय तोफी बेवा हालू कौम रावत 1/2 हिस्सा शेष इन्द्राज बदस्तूर व ख.नं. 2093 रकबा 01-10-00 पर मीरा पत्नी सुखदेव सिंह व राधा बेवा हालू के स्थान पर मीरा पत्नी सुखदेव सिंह रावत निवासी कानस व तोफी बेवा हालू रावत के नाम ख.नं. 2094 रकबा 00-02-00 पर मु.राधा व तोफी बेवा हालू कोम रावत के बजाय तोफी बेवा हालू कौम रावत के नाम अकंन स्वीकार हुआ। नामा सं. 1116 दिनांकक 13.07.09 जरिये बेचान से खसरा नंबर 2094 रकबा 00-02-00 सम्पूर्ण पर तोफी बेवा हालू के स्थान पर सुखदेव पुत्र मैना जाति रावत निवासी कानस व ख.नं. 2093 रकबा 01-10-00 पर तोफी बेवा हालू कौम रावत के बजाय सुखदेव पुत्र गैना जाति रावत निवासी कानस के नाम अकंन स्वीकार हुआ।"

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जब उसने यह रजिस्ट्री पंजीयन की तब आईडी वगैरह नहीं देखी थी। साथ ही यह स्वीकार किया कि उसने जिस वक्त यह रजिस्ट्री पंजीयन की थी, राजस्थान सरकार के नियमों की पालना नहीं की और न ही वह मौके पर गया था। इसके पूर्व जो रजिस्ट्री दिनांक 02.07.2007 को तोफी देवी ने मीरा देवी को अपने 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री की थी, उस पर उपपंजीयक पुष्कर का नोट लगा था, उसको उसने नहीं देखा। उसके सामने मीरा व सुखदेव ने किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की।

**19-** आगे गवाह हेमचंद पीडब्ल्यू-6 ने, जो दिनांक 25.02.2011 को होकरा में पटवारी के पद पर कार्यरत था, ने वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श पी-6 व नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी-7 अपने हस्ताक्षर कर जारी करने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि खसरा नंबर 293 में हालू की विरासत से राधा देवी व तोफी आराजी भूमि की आधा-आधा मालिक है। सुखदेव ने जो आराजी मनोज को बेची है, वह सही बेची है और किसी प्रकार की धोखाधड़ी सुखदेव व मीरा ने नहीं की है। मीरा देवी को तोफी ने जमाबंदी के अनुसार उसके हिस्से की 1/2 जमीन बेची, शेष हिस्सा इन्द्राज जमाबंदी राधा देवी के नाम था। जो दस्तावेज विक्रयपत्र दिनांक 02.07.2007 को तोफी देवी ने मीरा देवी के पक्ष में निष्पादित किया था, उसके अंतिम पृष्ठ पर उपपंजीयक पुष्कर का नोट जमाबंदी में उसने नहीं लिखा।

**20-** आगे गवाह कंचन भाटी पीडब्ल्यू-7 व गवाह प्रभूराम पीडब्ल्यू-8 ने क्रमशः अभियुक्ता मीरा व अभियुक्त सुखदेव की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-8 व पी-9 पर अपने-अपने हस्ताक्षर होने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। गवाह प्रभू पुत्र उगमा ने प्रदर्श पी-10 पर अपने हस्ताक्षर होने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है और अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने कथन किया कि मीरा व सुखदेव ने हरबंस के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की। साक्ष्य की इसी कड़ी में गवाह भंवर सिंह पीडब्ल्यू-10 ने इकरारनामा प्रदर्श पी-10 की फर्द जब्ती प्रदर्श पी-12 पर स्वयं के हस्ताक्षर बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। गवाह अनिल भारद्वाज पीडब्ल्यू-11 ने उससे खरीदे गए स्टॉम्प प्रदर्श पी-10 व पी-3 पर अपने हस्ताक्षर होने बाबत तथा प्रदर्श पी-3 स्टॉम्प की पुश्त पर स्वयं का इन्द्राज प्रदर्श पी-13 व 14 होने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है।

**21-** इसी प्रकार से गवाह इन्द्र सिंह पीडब्ल्यू-13 ने भी अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि उसने सुना कि मीरा ने हरबंस नाम के व्यक्ति को भूमि बेच दी थी लेकिन



उसका कब्जा दिया या नहीं दिया, उसे कोई जानकारी नहीं है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया कि मीरा व सुखदेव ने हरबंस के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की। इसी भांति की साक्ष्य गवाह कालू सिंह पीडब्ल्यू-14 ने न्यायालय के समक्ष अपने मुख्य परीक्षण के कथनों में दी है।

**22-** आगे गवाह बिरदीचंद पीडब्ल्यू-16 ने दिनांक 11.05.2009 को उपपंजीयक अजमेर प्रथम के पद पर तैनात होना और उस रोज विक्रयपत्र प्रदर्श पी-3 का पंजीयन करने बाबत् औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-1 का ए से बी भाग उसने देख लिया था। रजिस्ट्री मीरा ने अपने हक-हिस्से की कराई थी।

**23-** अंत में प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी दिनेश कुमार पीडब्ल्यू-12 ने स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान बाबत् विस्तृत सकारात्मक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दी है और अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि आरोपिया मीरा ने परिवादी के पक्ष में सम्पूर्ण खसरे का विक्रय पत्र निष्पादित किया था, जबकि दूसरा बेचान उसके पति सुखदेव ने उसी खसरे का आधा भाग बेचान किया था। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि सुखदेव से परिवादी ने कोई जमीन क्रय नहीं की थी, फिर कहा कि मीरा के बेचान में सुखदेव बतौर गवाह मौजूद था। यह स्वीकार किया कि परिवादिया अनपढ़ है, अंगूठा निशानी करती है। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-3 पर जो बेचान मीरा द्वारा किया गया था उसमें आरोपिया मीरा का पति सुखदेव गवाह नहीं है, फिर कहा कि विक्रय से पहले इकरारनामा में सुखदेव गवाह था। आरोपिया मीरा के राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 2093 की कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा आ रही थी और मीरा ने इतने ही रकबे का बेचान किया था। साथ ही यह स्वीकार किया कि जितनी इकरारनामा प्रदर्श पी-10 में वर्णन की गई है उतनी ही जमीन की प्रदर्श पी-3 विक्रयपत्र रजिस्ट्री में वर्णन है। तोफी देवी ने सुखदेव को खसरा नंबर 2093 व 2094 में से संपूर्ण हिस्सा 1 बीघा 12 बिस्वा में से संपूर्ण हिस्से का बेचान किया था। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि सुखदेव ने हरबंस को जमीन नहीं बेची थी परन्तु उसकी पत्नी मीरा द्वारा खसरा नंबर 2093 के संपूर्ण हिस्से के बेचान की जानकारी सुखदेव को थी और सुखदेव मीरा द्वारा बेचान एग्रीमेंट में सहमतकर्ता भी था। आगे यह स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-3 अजमेर उपपंजीयक के समक्ष निष्पादित हुई है। खसरा नंबर 2093 में से तोफी देवी और राधा देवी प्रत्येक का 15-15 बिस्वा जमीन हिस्से में आती थी। नामांतरण संख्या 959 दिनांक 20.08.2007 को तोफी ने अपने हिस्से की आधी जमीन मीरा को बेचान की थी, उसका नामांतरण मीरा देवी के नाम हुआ था। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि नामांतरण संख्या 959 दिनांक 20.08.2007 को तोफी ने अपने हिस्से की आधी जमीन मीरा को बेचान की थी, उसका नामांतरण मीरा देवी के नाम हुआ था। तत्पश्चात राधा देवी की फौत हो जाने पर राधा देवी का जो आधा हिस्सा था, उसका नामांतरण संख्या 1095 दिनांक 23.05.2009 को तोफी देवी के पक्ष में स्वीकार हुआ था। आगे यह भी स्वीकार किया कि खसरा नंबर 2093 व 2094 का 1 बीघा 12 बिस्वा जमीन तोफी देवी ने सुखदेव को बेची।

**24-** अब यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रदर्शित कराए दस्तावेजों का एक साथ



अवलोकन किया जाए तो प्रकट होता है कि अभियुक्ता मीरा ने तोफी से प्रदर्श पी-1 के जरिये प्रदर्श पी-1 के पृष्ठ संख्या-2 पर वर्णित भूमि क्रय की थी और उक्त विक्रयपत्र के पृष्ठ संख्या-4 की पुश्त पर यह अंकित है कि -

"दस्तावेज में वर्णित आराजी में विक्रेती श्रीमती तोफी का कुल हिस्सा 1/2 है।"

उक्त विक्रयपत्र की संपूर्ण जानकारी परिवादी हरबंस को दी गई थी, यह परिवादी स्वयं के कथनों एवं पत्रावली पर अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गए अन्य साक्षीगण की साक्ष्य से प्रकट हुआ है। प्रदर्श पी-3 विक्रयपत्र के माध्यम से मीरा ने हरबंस के पक्ष में उक्त विक्रयपत्र में वर्णित भूमि, जिसका विस्तृत विवरण उक्त विक्रयपत्र प्रदर्श पी-3 के पृष्ठ संख्या-4 में अंकित है, विक्रय की है। न्यायालय यहां यह उल्लेख करना वांछनीय समझता है कि उक्त दस्तावेज प्रदर्श पी-3 में तोफी द्वारा मीरा के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र प्रदर्श पी-1 का हवाला प्रथम पृष्ठ पर ही दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में इस तथ्य की पुष्ट होती है कि परिवादी हरबंस को प्रदर्श पी-3 के निष्पादन के समय प्रदर्श पी-1 के निष्पादन की पूर्ण जानकारी थी।

25- अन्य प्रदर्श पी-3 लगायत पी-5 एक ही विक्रयपत्र की तीन प्रमाणित प्रतिया हैं, जो सुखदेव द्वारा मनोज यादव के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र है, जिसके पृष्ठ संख्या 2 पर विक्रित संपत्ति का हवाला दिया गया है। साथ ही उक्त पृष्ठ पर संदर्भ में यह अंकित किया हुआ है कि-

"जो कि लेख्य संपत्ति में वर्णित आराजी वाके ग्राम होकरा तहसील व जिला अजमेर के राजस्व वर्किंग जमाबंदी के खाता नंबर 419 में हालु वल्द दूला कौम रावत साकिन देह खातेदार अंकित है। नामा.सं.386 दिनांक 04.12.2009 के अनुसार हालू के स्थान पर विरासत में मु.राधा व तोफी बेवा हालू कौम रावत स्वीकार हुआ। नामा.सं.959 दिनांक 20.08.2007 से जरिये बेचान ख.नं. 2093 रकबा 01-10-00 पर विक्रेती तोफी बेवा हालू रावत के बजाए श्रीमती मीरा पत्नी सुखदेव सिंह जाति रावत निवासी ग्राम कानस के नाम अंकन स्वीकार हुआ। नामा.सं.1095 दिनांक 23.05.2009 जरिये विरासत राधा फौत होने से ख.नं. 2090 रकबा 00-02-10 पर राधा व तोफी बेवा हालू 1/2 हिस्सा के बजाय तोफी बेवा हालू कौम रावत 1/2 हिस्सा शेष इन्द्राज बदस्तूर व ख.नं. 2093 रकबा 01-10-00 पर मीरा पत्नी सुखदेव सिंह व राधा बेवा हालू के स्थान पर मीरा पत्नी सुखदेव सिंह रावत निवासी कानस व तोफी बेवा हालू रावत के नाम ख.नं. 2094 रकबा 00-02-00 पर मु.राधा व तोफी बेवा हालू कोम रावत के बजाय तोफी बेवा हालू कौम रावत के नाम अंकन स्वीकार हुआ। नामा सं. 1116 दिनांकक 13.07.09 जरिये बेचान से खसरा नंबर 2094 रकबा 00-02-00 सम्पूर्ण पर तोफी बेवा हालू के स्थान पर सुखदेव पुत्र मैना जाति रावत निवासी कानस व ख.नं. 2093 रकबा 01-10-00 पर तोफी बेवा हालू कौम रावत के बजाय सुखदेव पुत्र गैना जाति रावत निवासी कानस के नाम अंकन स्वीकार हुआ।"

प्रदर्श पी-6 नकल जमाबंदी है। प्रदर्श पी-7 नक्शा ट्रेस है। प्रदर्श पी-8 व पी-9 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्तगण है। प्रदर्श पी-10 इकरारनामा बेचान है, जिसका विवेचन पहले किया जा चुका है। प्रदर्श पी-11 पुलिस बयान प्रभू पुत्र उगमा है। प्रदर्श पी-12 फर्द पेशकशी एवं जब्ती इकरारनामा है। प्रदर्श पी-15 कार्यालय उपपंजीयक अजमेर द्वारा जिला पंजीयक, कार्यालय जिला कलेक्टर अजमेर को रिकार्ड विडिंग करने का पत्र है। प्रदर्श पी-16 कार्यालय उपपंजीयक अजमेर प्रथम द्वारा बिरदीचंद गंगवाल को जारी पत्र है तथा प्रदर्श पी-17 उपपंजीय पुष्कर द्वारा पुलिस थाना पुष्कर को जारी पत्र है। प्रदर्श पी-18 विक्रयपत्र प्रदर्श पी-3 विक्रयपत्र की ही प्रमाणित प्रति है। प्रदर्श पी-19 तोफी द्वारा सुखदेव के पक्ष में निष्पादित विक्रयपत्र की



प्रमाणित प्रति है। उक्त विक्रयपत्र प्रदर्श पी-19 के जरिये विक्रित की गई भूमि का विवरण प्रदर्श पी-19 के पृष्ठ संख्या 2 अंकित है, जो इस प्रकार है-

खसरा संख्या	रकबा	किस्म
	बी-बी-बी	
2094	01-10-00	बारानी-2
2093	00-02-00	बारानी-2

किता-2 01-12-00 में से हक व हिस्सा अर्थात मुझ विक्रेती की संपूर्ण हक व हिस्से की आराजी को विक्रय गया है।

साथ ही उक्त दस्तावेज के पृष्ठ संख्या 2 पर संदर्भ में यह अंकित है कि -

"जो कि लेख्य सम्पत्ति में वर्णित आराजी वाकै ग्राम होकरा तहसील व जिला अजमेर अजमेर के राजस्व वर्किंग जमाबन्दी के खाता नम्बर 419 में हालु वल्द दुला कौम रावत साकिन देह खातेदार अंकित है। हालु का स्वर्गवास हो चुका है। कि जिस उक्त का नामा सं. 386 दिनों के 14.12.01 के अनुसार हालु के स्थान पर विरासत मु.राधा व तोफी बेवा हालु कौम रावत स्वीकार हुआ। मु.राधा बेवा हालु का भी स्वर्गवास हो चुका है। नामा सं. 1095 दिनांक 23.05.09 जरिये विरासत राधा फोट होने से खसरा नं. 2090 रकबा 00-02-10 पर राधा व तोफी बेवा हालु 1/2 के हिस्से के बजाए तोफी बेवा हालु कौम रावत 1/2 हिस्सा शेष इन्द्राज बदस्तुर व खसरा नं. 2093 राधा बेवा हालु के स्थान पर मीरा पत्नी व राधा बेवा हालु के स्थान पर मीरा पत्नी सुखदेवसिंह रावत नि.कानस व तोफी बेवा हालु रावत के नाम व खसरा नं. 1094 रकबा 00-02-02-00 पर मु. राधा व तोफी बेवा हालु रावत के बजाय तोफी बेवा हालु कौम रावत के नाम अंकन स्वीकार हुआ। उक्त सभी का नोट वर्किंग जमाबन्दी में लाल स्याही से लगा हुआ है। इस प्रकार से उपरोक्त वर्णित विक्रयशुदा आराजी की मैं विक्रेती ही तन्हा मालिक काबिज खातेदार काश्तकार हूँ। मेरे हक व हिस्से की आराजी पर कब्जा व दखल आज पर्यन्त मुझ विक्रेती का हो आ रहा है। आज से पहले मेरे हक व हिस्से की आराजी मेरी ओर से या मेरे परिवार की ओर से कहीं पर रहन, बैय, बख्शीश, वसीयत, वगैरह की हुई नहीं है और न ही किसी मुकदमा इत्तदा और तनाजा है, सारांश कि पाक व साफ है जिसको विक्रय व हस्तान्तरण आदि करने का पूर्ण है कानूनी हक व अधिकार मुझ विक्रेती को ही प्राप्त है।"

**26-** इस प्रकार उपरोक्त समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में तोफी ने प्रदर्श पी-1 विक्रयपत्र के माध्यम से प्रदर्श पी-1 में वर्णित खसरा नंबर की भूमि मीरा को व प्रदर्श पी-19 में वर्णित खसरा नंबर की भूमि सुखदेव सिंह को विक्रय की। प्रदर्श पी-1 के अनुसार तोफी ने खाता नंबर नया 419 पुराना 520 के खसरा नंबर 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बारानी 2 में से स्वयं का 1/2 हिस्सा विक्रय किया है, जिसके सम्बंध में प्रदर्श पी-1 की पुस्त पर यह नोट भी लगा है कि "दस्तावेज में वर्णित आराजी में विक्रेती श्रीमती तोफी का कुल हिस्सा 1/2 है। प्रदर्श पी-1 विक्रयपत्र के माध्यम से तोफी ने मीरा को खाता नंबर नया 419 पुराना 520 के खसरा नंबर 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बारानी 2 में से स्वयं का 1/2 हिस्सा विक्रय किया है, इस तथ्य की जानकारी परिवादी को प्रारम्भ से ही थी, इसकी पुष्टि प्रदर्श पी-3 विक्रयपत्र के प्रथम पृष्ठ पर वर्णित इबारत से हाती है। प्रदर्श पी-19 के माध्यम से तोफी ने जो भूमि सुखदेव सिंह को विक्रय की, वह खसरा नंबर 2093 व खसरा नंबर 2094 में अपना 1/2 हिस्सा विक्रय किया है। यहां यह भी उल्लेख करना वांछनीय होगा कि परिवादी स्वयं ने अपनी जिरह में यह बताया है कि मीरा ने तोफी से जमीन खरीदी थी और उसने प्रदर्श पी-3 पढकर हस्ताक्षर किए थे और इस सुझाव को सही होना बताया कि उसने प्रदर्श डी-5 का ए से बी भाग पुलिस को दिया था और प्रदर्श डी-5 के ए से बी भाग के अनुसार परिवादी ने यह स्वीकार किया कि उसने तोफी द्वारा मीरा को की गई रजिस्ट्री की



फोटो कॉपी पढकर उसी रजिस्ट्री के आधार पर सौदा तय किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी-3 विक्रयपत्र के गवाह सत्तार पीडब्ल्यू-4 सत्तार ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया कि इस जमीन का सौदा उसने ही करवाया था और प्रदर्श पी-3 रजिस्ट्री राजीखुशी, बिना किसी दबाव के कराई थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जितने का एग्रीमेन्ट मीरा देवी ने किया उतनी जमीन की रजिस्ट्री हरबंस सिंह के नाम कर दी थी और हरबंस सिंह ने जमीन का सीमाज्ञान कराया था तथा जमीन पर कब्जा हरबंस सिंह का है। इस साक्षी ने यह भी बताया कि हरबंस को दिनांक 02.07.2007 को तोफी देवी द्वारा मीरा देवी के किए गए हक व हिस्से की रजिस्ट्री के विक्रय पत्र की प्रति व उसमें लिखे तहसीलदार पुष्कर के नोट को बता दिया था और उक्त रजिस्ट्री देखने के बाद हरबंस ने रजिस्ट्री अपने पक्ष में कराई थी। परिवादी हरबंस स्वयं ने अपने मुख्य परीक्षण के कथन में बताया कि मीरा और सुखदेव ने कब्जा सम्भलाया उसके बाद रजिस्ट्री करवाई थी। सबसे महत्वपूर्ण परिवादी हरबंस की यह स्वीकारोक्ति है कि "जमीन आज उसके कब्जे में है, उसने जमीन पर तारबंदी कर रखी थी, उसकी जमीन पर तारबंदी हो रखी है।" जब परिवादी के प्रतिपरीक्षा में कथन दिनांक 28.04.2026 को लेखबद्ध किए गए थे और उक्त दिनांक को परिवादी की यह स्वीकारोक्ति है कि जमीन आज उसके कब्जे में, उसने तारबंदी कर रखी है, तो फिर उसकी जमीन को किस प्रकार से अभियुक्तगण ने षडयंत्र रचकर कर बेचान कर दिया, यह अपनी साक्ष्य में स्पष्ट नहीं किया है।

27- हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 व 120 का आरोप है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 छल के लिए दण्ड से सम्बंधित है। उल्लेखनीय है कि छल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 415 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है-

जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्पत्ति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक ख्याति सम्बन्धी, या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह 'छल' करता है, यह कहा जाता है।

उक्त प्रावधान के प्रकाश में परिवादी की तहरीरी रिपोर्ट एवं न्यायालय के समक्ष परिवादी के लेखबद्ध सशपथ कथनों का अवलोकन करें तो दर्शित होता है कि परिवादी ने अपनी तहरीरी रिपोर्ट एवं साक्ष्य के प्रक्रम पर कहीं यह स्पष्ट नहीं किया है कि अभियुक्तगण ने उसको किस प्रकार की प्रवंचना से प्रवंचित किया अथवा कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित किया, जिससे प्रवंचित होकर अथवा उत्प्रेरित होकर उसने ऐसा कोई कार्य किया हो अथवा संपत्ति अभियुक्तगण को परिदत्त कर दी हो, जिससे उसको शारीरिक, मानसिक ख्याती सम्बंधी या साम्पत्तिक नुकसान या अपहानित कारित हुई हो। परिवादी को प्रदर्श पी-1 दस्तावेज की संपूर्ण जानकारी थी। ऐसी स्थिति में परिवादी के साथ छल हुआ हो, यह नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त परिवादी बेचान इकरारनामा प्रदर्श पी-10 राशि 6,25,000/-रुपये का



निष्पादित कराया, जबकि उक्त इकरारनामा का विक्रयपत्र प्रदर्श पी-3 मात्र 37,000/-रूपये पर पंजीकृत कराया, जिससे भी निःसंदेह राजस्व हानि कारित हुई है। पत्रावली पर अभियोजन की तरफ से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अभियुक्तगण ने किसी प्रकार का आपराधिक षडयंत्र किया हो और परिवादी को भुलावे में रखकर उसके साथ छल कारित किया हो। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में जिन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को पेश किया है, उनके सूक्ष्म अवलोकन से अभियोजन की कहानी संदेह के बादलों से आच्छादित हो जाती है।

**28-** सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा कि अभियुक्तगण ने यह तथ्य अपनी जानकारी में होते हुए भी कि अभियुक्त मीरा ने ग्राम होकरा में स्थित खाता संख्या नया 419 पुराना 510 के खसरा संख्या 2093 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 11.05.2009 परिवादी हरबंस सिंह को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था, इसके बावजूद भी दिनांक 21.07.2010 को उक्त भूमि का पुनः बेचान मनोज यादव को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र के कर अपने आपको दोषपूर्ण लाभ पहुँचाने व परिवादी को दोषपूर्ण हानि पहुँचाने की नीयत से परिवादी के साथ छल करते हुए परिवादी को बेचान की गई भूमि को पुनः मनोज यादव को बेचान कर दिया। फलतः अभियुक्तगण 1- मीरा पत्नी सुखदेव निवासी कानस, पुष्कर, अजमेर। 2. सुखदेव पुत्र श्री गैना निवासी कानस, पुष्कर, अजमेर अपराध अंतर्गत धारा 420 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

#### आदेश

**29-** परिणामतः अभियुक्तगण 1.मीरा पत्नी सुखदेव निवासी कानस, पुष्कर, अजमेर। 2. सुखदेव पुत्र श्री गैना निवासी कानस, पुष्कर, अजमेर को धारा 420 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाता है। अभियुक्तगण के हाजिरी बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलकें बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझे जावें। प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना (मुताबिक फर्द जब्ती) यदि कोई हो तो नियमानुसार निस्तारित किया जावें एवं यदि जब्तशुदा मालखाना सुपुर्दगीनामे एवं जमानतनामे पर सुपुर्द किया गया हो तो उसका सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझा जावें।

(डॉ. विमल व्यास)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

**30-** निर्णय आज दिनांक 14.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र